भारतीय स्टेट बैंक

तुलन - पत्र, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,45,88
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	220021,36,33	218236,10,15
जमा राशियाँ	3	2911386,01,07	2706343,28,50
उधार राशियाँ	4	403017,11,82	362142,07,45
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	145597,29,55	167138,07,68
योग		**3680914,24,89**	**3454751,99,66**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	176932,41,75	150397,18,14
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	45557,69,40	41501,46,05
निवेश	8	967021,94,75	1060986,71,50
अग्रिम	9	2185876,91,77	1934880,18,91
अचल आस्तियाँ	10	39197,56,94	39992,25,11
अन्य आस्तियाँ	11	266327,70,28	226994,19,95
योग		**3680914,24,89**	**3454751,99,66**
आकस्मिक देयताएँ	12	1116081,45,94	1162020,69,30
वसूली के लिए बिल	-	70022,53,97	74027,90,24
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: सदस्यता सं. 085669
फर्म पंजी सं. 1001111 एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार:सदस्यता सं.0110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: सदस्यता सं. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: एम. सं.070487
फर्म पंजी सं. 00745 सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: एम. सं.053087
फर्म पंजी सं. 303029 ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: सदस्यता सं.214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार:सदस्यता सं. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: सदस्यता सं. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: एम. सं.117987
फर्म पंजी सं. 104863 डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: एम. सं.108170
फर्म पंजी सं. 000722 सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: सदस्यता सं. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: सदस्यता सं. 018159
फर्म पंजी सं. 004610 एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: एम. सं.17643
फर्म पंजी सं. 302082 ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त और संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,45,88
उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर (पिछला वर्ष प्रति ₹1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर) सम्मिलित हैं जो 1,21,07,135 (पिछला वर्ष 1,26,24,898) ग्लोबल डिपोजिटरी रसीदों के रूप में हैं।		
योग	**892,46,12**	**892,45,88**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	65336,98,37		53969,83,67	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	258,66,89		11367,14,70	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			65595,65,26		**65336,98,37**
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	9391,65,88		3688,17,59	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,20,76		5703,48,29	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			9770,86,64		**9391,65,88**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79124,21,51		55423,23,36	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,92		23718,58,11	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,12,38		17,59,96	
			79115,47,05		**79124,21,51**
IV.	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	5720,58,73		4428,63,94	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1077,13,19		1482,65,84	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	66,75,03		190,71,05	
			6730,96,89		**5720,58,73**
V.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ ***				
	अथशेष	48893,23,87		38392,85,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	563,88,56		14888,94,48	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	76,60,48		4388,56,60	
			49380,51,95		**48893,23,87**

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
VI.	**आरक्षित पुनर्मूल्यन**				
	अथशेष	24847,98,65		31585,64,99	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन			4670,63,97	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	194,04,57		11408,30,31	
			24653,94,08		**24847,98,65**
VII.	**लाभ और हानि खाते की शेष राशि**		**(15226,05,54)**		**(15078,56,86)**
	* नोटः राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में शामिल है (i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार) (ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹13421,76,76 हजार (पिछले वर्ष ₹13421,76,76 हजार) (iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष निरंक (पिछला वर्ष ₹371,84,01 हजार)				
योग			**220021,36.33**		**218236,10,15**

वर्ष के दौरान परिवर्धनों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर प्राप्त राशियाँ शामिल हैं।

अनूसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	**I. माँग जमाराशियाँ**		
	(i) बैंकों से	6894,62,06	5326,82,76
	(ii) अन्य से	198980,62,74	184847,05,92
	II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1091751,97,36	1013774,47,09
	III. सावधि जमाराशियाँ		
	(i) बैंकों से	8234,15,28	15218,78,64
	(ii) अन्य से	1605524,63,63	1487176,14,09
योग		**2911386,01,07**	**2706343,28,50**
ख)	I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2814243,42,48	2599393,43,21
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	97142,58,59	106949,85,29
योग		**2911386,01,07**	**2706343,28,50**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			94319,00,00		94252,00,00
(ii) अन्य बैंक			260,00,00		1603,85,43
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			27853,89,24		2411,83,26
(iv) पूंजीगत लिखत :					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)	19152,30,00		11835,00,00		
ख) गौण ऋण	28256,73,80		32540,83,80		
		47409,03,80		**44375,83,80**	
योग		**169841,93,04**		**142643,52,49**	
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ					
(i) भारत के बाहर उधार राशियाँ और पुनर्वित्त			231100,53,78		217543,29,96
(ii) पूंजीगत लिखत					
नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आई पी डी आई)			2074,65,00		1955,25,00
योग		**233175,18,78**		**219498,54,96**	
कुल योग		**403017,11,82**		**362142,07,45**	
उपरोक्त I और II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं		**124028,25,70**		**106637,02,05**	

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	23875,66,31	26617,74,90
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	21735,74,61	40734,57,50
III. उपचित ब्याज	14479,87,48	16279,62,96
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,33,15	2,80,59
V. अन्य (प्रावधान सहित) *	85503,68,00	83503,31,73
* मानक आस्तियों के लिए ₹12396,67,91 हजार का विवेकपूर्ण प्रावधान शामिल है (पिछला वर्ष ₹12499,46,35 हजार)		
योग	**145597,29,55**	**167138,07,68**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं)	18777,94,34	15472,42,20
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	158154,47,41	134924,75,94
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**176932,41,75**	**150397,18,14**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	87,02,70	48,59,90
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
	(क) बैंकों में	4608,88,73	1614,44,26
	(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग		**4695,91,43**	**1663,04,16**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	19667,07,18	28528,09,13
	(ii) अन्य जमा खातों में	2870,14,73	1226,43,94
	(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	18324,56,06	10083,88,82
योग		**40861,77,97**	**39838,41,89**
कुल योग (I एवं II)		**45557,69,40**	**41501,46,05**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		761883,12,15	848395,84,44
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
	(iii) शेयर		9878,74,38	10516,69,01
	(iv) डिबेंचर और बांड		84948,36,68	77962,93,46
	(v) अनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित)		5608,00,04	5077,97,43
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट , कमर्शियल पेपर इत्यादि)		53388,53,85	72882,56,59
योग			**915706,77,10**	**1014836,00,93**
II.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)		11644,84,99	10520,45,85
	(ii) विदेशों में स्थापित समनुषंगियाँ और / अथवा संयुक्त उद्यम		4298,49,28	2712,22,30
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		35371,83,38	32918,02,42
योग			**51315,17,65**	**46150,70,57**
कुल योग (I एवं II)			**967021,94,75**	**1060986,71,50**
III.	**भारत में निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		926650,59,97	1026438,36,91
	(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		10943,82,87	11602,35,98
	(iii) निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**योग**	**915706,77,10**	**1014836,00,93**
IV.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		51473,39,76	46658,94,18
	(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास		158,22,11	508,23,61
	(iii) निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**योग**	**51315,17,65**	**46150,70,57**
कुल योग (III एवं IV)			**967021,94,75**	**1060986,71,50**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	80278,87,21	67613,55,55
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	776633,45,81	746252,38,11
	III. सावधि ऋण	1328964,58,75	1121014,25,25
योग		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1582764,41,50	1505988,72,17
	II. बैंक / सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	80173,16,17	68651,16,60
	III. अप्रतिभूत	522939,34,10	360240,30,14
योग		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	520729,77,60	448358,95,60
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	240295,89,39	161939,24,46
	(iii) बैंक	9174,06,50	2845,19,97
	(iv) अन्य	1114679,73,28	1023464,39,00
योग		**1884879,46,77**	**1636607,79,03**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	(i) बैंकों से प्राप्य	69975,74,47	77109,63,56
	(ii) अन्यों से प्राप्य		
	(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	26740,94,11	14539,04,35
	(ख) सिंडीकेट ऋण	138191,25,40	120685,86,16
	(ग) अन्य	66089,51,02	85937,85,81
योग		**300997,45,00**	**298272,39,88**
कुल योग [ग (I)+ ग (II)]		**2185876,91,77**	**1934880,18,91**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	30201,53,82		35961,29,86	
	परिवर्धन :				
	वर्ष के दौरान	669,84,09		1056,24,24	
	पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		4477,39,82	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	39,60,68		11293,40,10	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	लागत पर	714,18,98		614,08,31	
	पुनर्मूल्यांकन पर	497,17,97		308,66,78	
			29620,40,28		**29278,78,73**

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	30114,90,96		21856,35,33	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2404,25,97		9232,65,68	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1444,39,63		974,10,05	
	अद्यतन मूल्यह्रास	22186,23,44		20192,98,49	
			8888,53,86		**9921,92,47**
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		688,62,80		791,53,91
योग (I, II, III एवं IV)			**39197,56,94**		**39992,25,11**

वर्ष के दौरान परिवर्धनों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के अधिग्रहण पर प्राप्त राशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
(i)	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
(ii)	प्रोद्भूत ब्याज	26141,97,03	25714,46,61
(iii)	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर काटा गया कर	24376,29,42	17546,11,08
(iv)	आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	10422,49,17	11368,79,19
(v)	लेखन सामग्री और स्टांप	102,14,03	107,05,92
(vi)	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ	73,71	4,64,72
(vii)	अन्य *	205284,06,92	172253,12,43
	(* नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के पास रखे गए जमा ₹138245,29,37 हजार (पिछला वर्ष ₹95643,16,91 हजार)		
योग		266327,70,28	226994,19,95

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	43357,92,57	35153,03,00
II.	आंशतः प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	472,87,61	619,44,30
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	596621,66,74	644102,45,28
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	157186,66,27	148866,54,48
	(ख) भारत के बाहर	72425,94,84	67469,26,89
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	124194,94,04	121238,94,74
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	121821,43,87	144571,00,61
	* ₹117435,24,87 हजार डेरिवेटिव शामिल (पिछला वर्ष ₹141154,40,39 हजार)		
योग		**1116081,45,94**	**1162020,69,30**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	242868,65,35	220499,31,56
	अन्य आय	14	36774,88,78	44600,68,71
	योग		**279643,54,13**	**265100,00,27**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	154519,77,80	145645,60,00
	परिचालन व्यय	16	69687,73,74	59943,44,64
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		54573,79,61	66058,41,00
	योग		**278781,31,15**	**271647,45,64**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ (वर्ष के लिए)		862,22,98	(6547,45,37)
	जोड़े: आगे लाया गया लाभ		(15078,56,86)	31,68
	सम्मामेलन पर पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक लि. की हानि		-	(6407,68,97)
	योग		**(14216,33,88)**	**(12954,82,66)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		258,66,89	-
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		379,20,76	3288,87,88
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		371,84,01	(1165,13,68)
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		(15226,05,54)	(15078,56,86)
	योग		**(14216,33,88)**	**(12954,82,66)**
	प्रति शेयर मूल आय		₹ 0.97	₹-7.67
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹ 0.97	₹-7.67
	विशिष्ट लेखा नीतियां	17		
	लेखा - टिप्पणियाँ	18		

उपरोक्त दर्शाई गई अनुसूचियाँ लाभ और हानि खाते के अभिन्न अंग हैं ।

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: सदस्यता सं. 085669
फर्म पंजी सं. 1001111 एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार:सदस्यता सं.0110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: सदस्यता सं. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: एम. सं.070487
फर्म पंजी सं. 00745 सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: एम. सं.053087
फर्म पंजी सं. 303029 ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: सदस्यता सं.214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार:सदस्यता सं. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: सदस्यता सं. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: एम. सं.117987
फर्म पंजी सं. 104863 डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: एम. सं.108170
फर्म पंजी सं. 000722 सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: सदस्यता सं. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: एम. नं. 61380
फर्म पंजी. नं. 301072 ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: सदस्यता सं. 018159
फर्म पंजी सं. 004610 एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: एम. सं.17643
फर्म पंजी सं. 302082 ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	161640,23,23	141363,16,78
II.	निवेशों पर आय	74406,16,37	70337,61,67
III.	भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	1179,06,59	2249,99,69
iv.	अन्य	5643,19,16	6548,53,42
योग		**242868,65,35**	**220499,31,56**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23303,89,22	22996,80,04
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) 1	3146,86,06	13423,34,83
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(2124,03,82)	(1120,61,02)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(34,98,24)	(30,03,00)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2155,75,29	2484,59,52
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	348,01,18	448,51,70
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	विविध आय 2	9979,39,09	6398,06,64
योग		**36774,88,78**	**44600,68,71**

1 निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹473.12 करोड़ की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष 5436.17 करोड़)

2 विविध आय मे शामिल है असाधरण मदें ₹1087.43 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) और बट्टे खाते में की गई वसुलि ₹8344.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5333.20 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	140272,36,59	135725,70,41
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	9838,95,98	5312,42,79
III.	अन्य	4408,45,23	4607,46,80
योग		**154519,77,80**	**145645,60,00**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	41054,70,68	33178,67,95
II.	भाड़ा, कर और बिजली खर्च	5265,65,95	5140,43,15
III.	मुद्रण और लेखन-सामग्री	498,94,99	518,13,63
IV.	विज्ञापन और प्रचार	354,05,58	358,32,54
V.	(क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	3212,30,65	2919,46,63
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,34,65	61,93
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	293,67,65	289,18,07
VIII.	विधि प्रभार	261,84,28	199,03,48
IX.	डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	387,01,81	506,83,11
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	904,08,56	826,93,29
XI.	बीमा	2845,44,78	2759,88,05
XII.	अन्य व्यय	14608,64,16	13245,92,81
योग		**69687,73,74**	**59943,44,64**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त है: (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि) "पूंजी आरक्षित खाता" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है:

क) सब्याज प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को निर्धारित किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर निर्धारित की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है,:-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए निवेश को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

(ख) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय मानागया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) लागत का निर्धारण, "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है।

ii. एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणीः क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध म उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च) विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:

क) रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/ आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

ix. बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियाँ:
-प्रतिभूत भाग

i. एक वर्ष तक - 25%
ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%
iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँ: 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुर्नसंरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षो में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार
ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज
ग. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है .

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष वाहन - 5 वर्ष जमा सुरक्षा लॉकर - 20 वर्ष फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

1. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधिक कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

ग. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख) अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो आय पर कर के लेखा से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क) यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख) दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता. ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियां

18.1 पूंजी:

1. पूंजी अनुपात:

बेसल - II के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	अप्रयोज्य	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	10.38%	10.02%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.47%	2.72%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	12.85%	12.74%

बेसल - III के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	9.62%	9.68%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.65%	10.36%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.07%	2.24%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	12.72%	12.60%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	57.13%	58.03%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	509,88,82,979	517,89,88,645
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	0.38	23,813.69
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस:	निरंक	निरंक
	ख) पीडीआई:	7,317.30	2,000.00
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है:		
	क) ऋण पूंजी लिखत		
	ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत:	4,115.90	निरंक
	ज्बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/	निरंक	निरंक
	मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर		
	(आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी		
	अधिमान शेयर (आरसीपीएस)		

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित निधि और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

2. शेयर पूंजी

क) बैंक को विभिन्न हक विवादों या दिनांक 18.03.2018 को बंद हुए अधिकार निर्गम से संबंधित अन्य पक्षकारों के दावों के कारण रोककर रखे गए प्रति शेयर ₹1/- के 24,000 इक्विटी शेयर जारी करने के रूप में ₹0.38 करोड़ की प्रीमियम राशि सहित ₹0.38 करोड़ की आवेदन राशि प्राप्त हुई है। रोककर रखे गए इक्विटी शेयरों का आवंटन दिनांक 31.01.2019 को किया गया।

ख) शेयर जारी करने से संबंधित व्यय ₹9.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹17.60 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते को नामे किया गया।

3. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.19 को रुपए के समतुल्य	31.03.2018 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम - 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अतिरिक्त टीयर-1 (एटी1) बॉण्ड -	22.09.2016	बेमियादी नॉन-काल 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,074.65	1,955.25

यह बॉण्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10(टियर 1) श्रृंखला I	1,000.00	14.08.2009	9.10
2.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर-1	100.00	25.11.2009	9.10
3.	पूर्ववर्ती एसबीपी-टियर-1 श्रृंखला 1	300.00	18.01.2010	9.15
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2009-10 (टियर 1) श्रृंखला II	1,000.00	27.01.2010	9.05
5.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर 1, श्रृंखला XII	135.00	24.02.2010	9.20
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर 1, श्रृंखला XIII	200.00	20.09.2010	9.05
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	2,100.00	06.09.2016	9.00
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,500.00	27.09.2016	8.75
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	2,500.00	25.10.2016	8.39
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड2016अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
11.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1	4,021.00	04.12.2018	9.56
12.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
13.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बॉण्ड 2018 अप्रतिभूत बेसल ।।। एटी1 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
योग		**19,152.30***		

*इसमें वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार से जुटाए गए ₹2,000 करोड़ शामिल हैं जिसमें से एसबीआई कर्मचारी पेंशन निधि द्वारा किए गए ₹550 करोड़ के निवेश को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार टियर-1 पूंजी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

4. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय है और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II,	500.00	20.03.2012	9.02	120
	(श्रृंखला VI)		20.03.2022		
2	एसबीआई अपरिवर्तनीय	2,000.00	02.01.2014	9.69	120
	(निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)		02.01.2024		
3	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	325.00	05.06.2009	8.39	180
	(श्रृंखला IX)		05.06.2024		
4	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	450.00	21.08.2009	8.50	180
	(श्रृंखला X)		21.08.2024		
5	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	475.00	08.09.2009	8.60	180
	(श्रृंखला XI)		08.09.2024		
6	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	500.00	17.12.2014	8.55	120
	बेसल III अनुपालक		17.12.2024		
7	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II	950.00	22.01.2015	8.29	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)		22.01.2025		
8	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II	200.00	20.03.2015	8.30	120
	बेसल-III - अनुपालक		20.03.2025		
9	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	393.00	31.03.2015	8.32	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XIV)		31.03.2025		
10	एसबीआई अपरिवर्तनीय	866.92	04.11.2010	9.50	180
	(पब्लिक इश्यू) बॉण्ड 2010 (श्रृंखला - II), निम्न टियर II		04.11.2025		
11	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	4,000.00	23.12.2015	8.33	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक		23.12.2025		
12	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	500.00	30.12.2015	8.40	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XV)		30.12.2025		

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
13	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	300.00	31.12.2015	8.40	120
	बेसल-III - अनुपालक		31.12.2025		
14	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	200.00	18.01.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक		18.01.2026		
15	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	200.00	08.02.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)		08.02.2026		
16	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत (निजी प्लेसमेंट)	3,000.00	18.02.2016	8.45	120
	बेसल III (टियर II बॉण्ड्स 2015-16, श्रृंखला II)		18.02.2026		
17	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू)	3,937.60	16.03.2011	9.95	180
	बॉण्ड - 2011 - रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)		16.03.2026		
18	एसबीआई अपरिवर्तनीय (पब्लिक इश्यू)	828.32	16.03.2011	9.45	180
	बॉण्ड - 2011 - नॉन रिटेल (श्रृंखला IV) (निम्न टियर II)		16.03.2026		
19	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	3,000.00	18.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक				
	टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला III)		18.03.2026		
20	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	500.00	21.03.2016	8.45	120
	(निजी प्लेसमेंट) बेसल - III अनुपालक				
	टियर- 2 बॉण्ड्स 2015-16 (श्रृंखला IV)		21.03.2026		
21	पूर्ववर्ती एसबीटी टियर II	515.00	30.03.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला I)		30.03.2026		
22	पूर्ववर्ती एसबीटी उच्च टियर II	500.00	26.03.2012	9.25	180
	(श्रृंखला III)		26.03.2027		
23	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत	4,115.90	02.11.2018	8.90	120
	बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018		02.11.2028		
योग		**28,256.74**			

18.2 निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
1.	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	926,650.60	10,26,438.37
	(ख) भारत से बाहर	51,473.40	46,658.94
	ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	9,094.19	9,698.21
	(ख) भारत से बाहर	158.22	508.24
	iii) पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	1,849.64	1,904.15
	iv) निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	915,706.77	10,14,836.01
	(ख) भारत से बाहर	51,315.18	46,150.70
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	i) वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	10,206.45	642.76
	ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबी के विलय पर किए गए प्रावधान	1,863.13	9,959.55
	iii) घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	-	16.51
	iv) घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(22.24)	(5.65)
	v) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन	2,839.41	385.00
	vi) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	9,252.41	10,206.45

टिप्पणियां :

क. गत वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक लि के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

ख. ₹21,219.41 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹40,992.04 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

ग. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों एवं सहयोगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि. ₹347.80 करोड़, ii) एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा.लि. ₹30.00 करोड़, iii) एसबीआई पेमेंट सर्विसिज प्रा.लि. ₹2.50 करोड़, iv) भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लि. ₹1,604.43 करोड़, v) जियो पेमेंट बैंक लि. ₹30.00 करोड़, vi) उत्कल ग्रामीण बैंक ₹63.14 करोड़, vii) मध्यांचल ग्रामीण बैंक ₹ 57.63 करोड़, viii) राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक ₹7.28 करोड़, ix) नागालैंड ग्रामीण बैंक ₹0.65 करोड़ तथा पूंजी निवेश के बाद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. वर्ष के दौरान बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 4% हिस्सेदारी ₹473.12 करोड़ लाभ के साथ बेच दी है। तद्नुसार बैंक की अंशधारिता 74.00% से कम होकर 70.00% हो गई है।

ङ. बैंक निम्नलिखित विवरणानुसार आरआरबी से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर हो गया है: -

(₹ करोड़ में)

आरआरबी का नाम	राशि
मालवा ग्रामीण बैंक	0.35

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2019 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रति भूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	1,31,364.16	48,101.62	1,12,793.84
		(-)	(94,252.00)	(11,859.64)	(94,252.00)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
		-	12,382.91	7,742.36	10,264.00
		(-)	(7,614.78)	(1,849.22)	(7,613.71)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ					
i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ				
		-	43,507.94	5,202.46	1,963.89
		(-)	(83,636.62)	(26,858.19)	(138.94)
ii)	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
		-	860.43	816.74	859.81
		(-)	(581.22)	(573.73)	(574.07)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निवेश ग्रेड से नीचे" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"रेटिंग रहित" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"गैर सूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	48,324.45 (49,524.49)	18,145.75 (25,424.36)	356.64 (414.14)	- (-)	- (-)
ii	वित्तीय संस्थाएं	67,836.16 (72,183.66)	55,738.02 (66,780.93)	- (-)	- (-)	- (250.00)
iii	बैंक	19,374.89	1,457.62	1,177.32	23.62	23.62
		(16,540.91)	(1,927.73)	(1,988.79)	(23.62)	(23.62)
iv	निजी कारपोरेट	41,791.89 (48,275.25)	23,398.59 (36,182.49)	826.18 (528.49)	341.30 (481.94)	24.70 (24.70)
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	9,909.36 (7,793.06)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi	अन्य	24,977.19 (24,304.13)	623.66 (-)	2,383.40 (991.02)	53.47 (60.07)	3.17 (-)
vii	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	7,075.11 (6,030.63)	- (-)	25.21 (-)	30.60 (-)	- (-)
	योग	**2,05,138.83** **(2,12,590.87)**	**99,363.64** **(1,30,315.51)**	**4,718.33** **(3,922.44)**	**387.79** **(565.63)**	**51.49** **(298.32)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख. अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	4,595.25	447.54
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	1,986.35	4,250.77
वर्ष के दौरान कमी	971.94	103.06
इतिशेष	5,609.66	4,595.25
रखे गए कुल प्रावधान	**5,209.17**	**2,452.30**

गत वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

4. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5. प्रतिभूत रसीदों (एस आर) में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i.	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	9,464.18	344.72	25.93	9,834.83
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	196.90	-	25.93	222.83
ii.	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.74	6.07	0.34	7.15
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	1.45	0.34	1.79
कुल (i) + (ii)		**9,464.92**	**350.79**	**26.27**	**9,841.98**

6. प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2019 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	9,841.98	10,489.53	-	16.41	9,841.98	10,505.94
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	16.58	5,214.56	-	-	16.58	5,214.56

18.3 डेरिवेटिव्स:

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	3,74,120.04	3,60,705.72
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	3,342.37	904.42
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	कोई महत्वपूर्ण नहीं	कोई महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	125.32	(-) 555.68

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों तथा अन्य बैंकों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹19022.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,988.82 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार मूल्य को बही में अंकित नहीं किया गया है।

31 मार्च 2019 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	219	6,229.77	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	1	176.35	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	115	955.46	अन्य	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	56	33,471.30	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	22	1,075.91	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	73	19,168.46	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	204	40,973.65	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2,709	1,29,351.55	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2	760.70	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	2,715	1,29,224.72	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	68	3,028.50	मिफोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	81	3,622.00	मिफोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	18	3,678.13	लिबोर	स्थिर प्राप्य/अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	24	2,403.54	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
	योग		**3,74,120.04**		

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि	निरंक	निरंक
	क) ब्याज दर वायदे	42,099.96	54,611.66
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति		
2	31 मार्च, 2019 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि	निरंक	निरंक
	क) ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख) भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज दर की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है।		

ग) डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर

(क) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी 01 आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2017-18 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यतः विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. हेजिंग स्वैप के अतिरिक्त, विदेशी कार्यालयों में किए जाने वाले स्वैप में हमारे विदेश स्थित कार्यालयों में किए गए बैक टू बैक (दुतरफा) स्वैप किए जाते हैं। इन्हें मुख्यतः ग्लोबल मार्केट्स, कोलकाता में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (एफसीएनआर) जमा राशियों की हेजिंग हेतु किया जाता है।

vii. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

viii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

ix. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव्स लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनिकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

ख. मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद		मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I)	डेरिवेटिव्स				
	(आनुमानिक मूल राशि)				
	(क) हेजिंग के लिए	8,983.92 @	20,605.24 @	41,908.78 #	49,193.30 #
	(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	2,47,198.72	6,16,447.95	3,37,642.76	3,11,512.42
	(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
	(क) आस्ति	3,555.69	5,716.35	3,365.55	592.99
	(ख) देयता	3,130.82	5,218.09	3,240.23	1,152.54
(III)	ऋण जोखिम	12,665.30	21,749.61	7,037.75	4,160.44
(IV)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	1.08	-0.14	150.90	-3.14
	(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	15.83	0.98	136.08	11.62
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर -				
	अधिकतम	1.08	-	255.40	2.81
	न्यूनतम	-	-0.04	-	-
	(ख) क्रय-विक्रय पर -				
	अधिकतम	24.41	1.18	149.73	0.76
	न्यूनतम	-129.75	-	0.08	-

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों और अन्य बैंकों के साथ किए गए स्वैप की ₹245.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2870.26 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

#बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹19,022.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,988.82 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया क्योंकि यह राशि एफसीएनबी निधि के हेजिंग के लिए रखी गई है और इसलिए बाजार के लिए चिन्हित नहीं की गई है।

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए वायदा लेनदेन इसमें शामिल नहीं है। मुद्रा डेरिवेटिव्स ₹427.12 (पिछले वर्ष ₹ शून्य) और ब्याज दर डेरिवेटिव्स शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

1. मार्च 31, 2019 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹19694.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,859.08 करोड़) है और 31 मार्च 2019 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹8,929.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12,056.81 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2019 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹45,661.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹45,442.82 करोड़) है।

18.4 आस्ति-गुणवत्ता

क. अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.01%	5.73%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) अथशेष	2,23,427.46	1,12,342.99
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	32,738.05	1,60,303.65
	उप-योग(I)	2,56,165.51	2,72,646.64
	घटाएं:		
	(घ) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,794.34	4,746.09
	(ङ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	19,715.63	4,277.67
	च) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	5,139.76	4,537.11
	(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	53,765.42	35,658.31
	उप-योग (ii)	83,415.15	49,219.18
	(च) इतिशेष(I-II)	1,72,750.36	2,23,427.46
III)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	1,10,854.70	58,277.38
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	27,008.89	61,478.47
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	71,968.85	8,901.15
	(घ) इतिशेष	65,894.74	1,10,854.70
IV)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	1,12,572.76	54,065.61
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	54,844.57	98,825.17
	(घ) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	60,561.71	40,318.02
	(घ) इतिशेष	1,06,855.62	1,12,572.76

एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी/ सीजीएफएमयू से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमशः ₹8.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.97 करोड़) और ₹235.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.72 करोड़) है।

पिछले वर्ष की बढ़ोतरी/प्रावधानों में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्तियां शामिल हैं।

ख. आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं .32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान रिपोर्ट किए गए प्रावधान पूर्व लाभ से 10% से अधिक है तथा/या आरबीआई द्वारा अवधि विशेष के दौरान चिह्नित सकल एनपीए घोषित किए गए वृद्धिशील एनपीए से 15% अधिक है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में किए गए विचलन का प्रकटीकण करना पड़ेगा।

तद्नुसार, चूंकि उपरोक्त सीमा में नहीं आने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विचलन की स्थिति अलग से दर्शाई नहीं गई है। * आरबीआई द्वारा नोट की गई विचलनों के कारण उपर्युक्त पूर्वप्रभावी नई एनपीए का निवल चालू प्रभाव को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत रूप से दर्शाया गया है।

क. पुनर्संरचित खाते

(₹करोड़ में)

	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन (1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
क्र. सं.	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल 2018 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	8	3	65	8	84	48	169	171	18	406
			(28)	(-)	(68)	(4)	(100)	(81)	(25)	(128)	(19)	(253)
		बकाया राशि	607.77	380.51	15,840.78	248.84	17,077.90	75.59	377.84	2,559.80	6.82	3,020.05
			(7,711.79)	(-)	(17,030.68)	(82.59)	(24,825.06)	(5,640.63)	(204.06)	(2,464.71)	(6.88)	(8,316.28)
		संबंधित प्रावधान	7.06	28.17	106.20	-	141.43	18.23	26.85	115.41	0.39	160.88
			(327.32)	(-)	(360.74)	(0.94)	(689.01)	(21.94)	(10.65)	(113.98)	(-)	(146.57)
2	चालू वित्त वर्ष में नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.							28	4	3	35
			(23)	(4)	(18)	(6)	(51)	(288)	(436)	(2,066)	(288)	(3,078)
		बकाया राशि	68.59		95.32		163.91	42.73	42.82	27.70	0.27	113.52
			(3,453.35)	(220.71)	(8,499.62)	(186.82)	(12,360.50)	(83.44)	(188.53)	(189.35)	(5.34)	(466.66)
		संबंधित प्रावधान	0.09				0.09		3.74	0.45	0.27	4.46
			(192.47)	(20.86)	(15.30)	(0.03)	(228.66)	(27.69)	(3.80)	(3.94)	(0.39)	(35.82)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.										
			(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-1)	(-)	(-)
		बकाया राशि										
			(443.42)	(-)	(-443.42)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान										
			(6.33)	(-)	(-6.33)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-1				-1	-2				-2
			(-11)				(-11)	(-43)				(-43)
		बकाया राशि	-23.05				-23.05	-4.56				-4.56
			(-5,389.94)				(-5,389.94)	(-5,318.42)				(-5,318.42)
		संबंधित प्रावधान						-0.23				-0.23
			(-209.29)				(-209.29)	(-1.80)				(-1.80)
			-2	-2	1	3	-	-2	2	-	-	-
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	(-13)	(-)	(11)	(2)	(-)	(-6)	(5)	(-3)	(4)	(-)
			-332.43	-221.77	-87.04	641.24		-38.02	-38.02			-
		बकाया राशि	(-3,336.83)	(303.58)	(2,747.62)	(285.63)	(-)	(-235.87)	(125.95)	(108.16)	(1.76)	(-)
				-9.52	9.52			-0.35	0.35			
		संबंधित प्रावधान	(-36.14)	(7.65)	(28.03)	(0.47)	(-)	(-12.02)	(12.02)	(-)	(-)	(-)
			-1	-1	-22	-2	-26	-16	-32	-33	-4	-85
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	(-20)	(-1)	(-31)	(-4)	(-56)	(-273)	(-297)	(-2,019)	(-293)	(-2,882)
			-174.83	-158.74	-9612.97	-233.55	-10180.09	-29.63	-151.36	-2171.70	0.44	-2353.13
		बकाया राशि	(-2,274.02)	(-143.78)	(-11,993.72)	(-306.20)	(-14,717.72)	(-94.19)	(-140.70)	(-202.42)	(-7.16)	(-444.47)
			-6.19	-18.65	-115.72		-140.56	-7.39	-24.51	-90.98	-0.39	-123.27
		संबंधित प्रावधान	(-273.63)	(-0.34)	(-291.54)	(-1.44)	(-566.95)	(-17.58)	(0.38)	(-2.51)	(-)	(-19.71)
			4		44	9	57	28	167	142	17	354
7	31 मार्च 2019 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	(8)	(3)	(65)	(8)	(84)	(48)	(169)	(171)	(18)	(406)
			146.04		6236.10	656.53	7038.67	46.11	307.32	415.80	6.65	775.88
		बकाया राशि	(607.77)	(380.51)	(15,840.78)	(248.84)	(17,077.90)	(75.59)	(377.84)	(2,559.80)	(6.82)	(3,020.05)
			0.96				0.96	10.26	6.43	24.88	0.27	41.84
		संबंधित प्रावधान	(7.06)	(28.17)	(106.20)	(-)	(141.43)	(18.23)	(26.85)	(115.41)	(0.39)	(160.88)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके / आस्ति वर्गीकरण / विवरण		अन्य (3)					योग (1 + 2 + 3)				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
1	1 अप्रैल 2018 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	360	335	1,094	45	1,834	416	507	1,330	71	2,324
			(100)	(206)	(1,990)	(49)	(2,345)	(209)	(231)	(2,186)	(72)	(2,698)
		बकाया राशि	4,179.74	3,933.96	29,631.18	966.41	38,711.28	4,863.08	4,692.31	48,031.77	1,222.07	58,809.23
			(23,281.14)	(2,714.14)	(6,774.45)	(30.56)	(32,800.30)	(36,633.56)	(2,918.20)	(26,269.85)	(120.03)	(65,941.64)
		संबंधित प्रावधान	350.99	80.14	170.62	0.64	602.39	376.27	135.15	392.24	1.03	904.69
			(242.27)	(28.14)	(174.82)	(-)	(445.23)	(591.54)	(38.79)	(649.55)	(0.94)	(1,280.82)
2	चालू वित्त के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	7	111	291	66	475	7	139	295	69	510
			(30,726)	(6,219)	(235)	(20)	(37,200)	(31,037)	(6,659)	(2,319)	(314)	(40,329)
		बकाया राशि	9347.86	2.96	94.95	3.95	9449.72	9459.18	45.78	217.96	4.23	9725.15
			(8,757.80)	(3,097.75)	(9,145.22)	(121.52)	(21,122.29)	(12,294.58)	(3,506.99)	(17,834.19)	(313.68)	(33,949.44)
		संबंधित प्रावधान	43.41	0.47	8.02	2.26	54.16	43.49	4.21	8.47	2.53	58.70
			(236.33)	(25.15)	(93.70)	(4.23)	(359.41)	(456.49)	(49.80)	(112.94)	(4.66)	(623.89)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	7	-7		-	-	7	-7			
			(5)	(-3)	(-2)	(-)	(-)	(7)	(-3)	(-4)	(-)	(-)
		बकाया राशि	0.29	-0.29			-	0.29	-0.29			
			(656.33)	(-605.65)	(-50.68)	(-)	(-)	(1,099.75)	(-605.65)	(-494.10)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(3.99)	(-1.04)	(-2.95)	(-)	(-)	(10.32)	(-1.04)	(-9.28)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-22				-22	-25				-25
			(-38)				(-38)	(-92)				(-92)
		बकाया राशि	-9421.29				-9421.29	-9448.90				-9448.90
			(-2,716.15)				(-2,716.15)	(-13,424.50)				(-13,424.50)
		संबंधित प्रावधान	-4.31				-4.31	-4.54				-4.54
			(-14.83)				(-14.83)	(-225.93)				(-225.93)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-9	-1	-79	89		-13	-1	-78	92	
			(-50)	(-222)	(249)	(23)	(-)	(-69)	(-217)	(257)	(29)	(-)
		बकाया राशि	-39.38	-1256.52	-42.68	1338.58		-409.83	-1440.27	-129.72	1979.82	
			(-21,997.58)	(456.27)	(20,388.99)	(1,152.33)	(-)	(-25,570.29)	(885.80)	(23,244.77)	(1,439.72)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-1.17	-15.18	10.96	5.39		-1.52	-24.35	20.48	5.39	
			(-133.95)	(52.17)	(81.52)	(0.26)	(-)	(-182.12)	(71.84)	(109.55)	(0.73)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-43	-211	-520	-29	-803	-60	-244	-575	-35	-914
			(-30,383)	(-5,865)	(-1,378)	(-47)	(-37,673)	(-30,676)	(-6,163)	(-3,428)	(-344)	(-40,611)
		बकाया राशि	-157.41	-2650.27	-21678.71	-1505.78	-25992.17	-361.87	-2960.38	-33463.39	-1739.76	-38525.
			(-3,801.80)	(-1,728.55)	(-6,626.80)	(-338.00)	(-12,495.16)	(-6,170.02)	(-2,013.03)	(-18,822.94)	(-651.36)	(-27,657.35)
		संबंधित प्रावधान	-69.35	-64.58	-174.37	-4.24	-312.54	-82.93	-107.73	-381.07	-4.63	-576.36
			(-248.70)	(-24.28)	(-176.47)	(-3.85)	(-453.30)	(-539.91)	(-24.24)	(-470.52)	(-5.30)	(-1,039.97)
7	31 मार्च 2019 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	300	227	786	171	1484	332	394	972	197	1895
			(360)	(335)	(1,094)	(45)	(1,834)	(416)	(507)	(1,330)	(71)	(2,324)
		बकाया राशि	3909.81	29.83	8004.74	803.16	12747.54	4101.96	337.15	14656.62	1466.35	20562.08
			(4,179.74)	(3,933.96)	(29,631.18)	(966.41)	(38,711.28)	(4,863.08)	(4,692.31)	(48,031.77)	(1,222.07)	(58,809.23)
		संबंधित प्रावधान	319.57	0.85	15.23	4.05	339.70	330.77	7.29	40.11	4.32	382.49
			(85.11)	(80.14)	(170.62)	(0.64)	(336.51)	(110.39)	(135.15)	(392.24)	(1.03)	(638.81)

टिप्पणी:

1. बकाया में ₹8,263.39 करोड़ की हुई वृद्धि (पिछले वर्ष ₹11,165.38 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित है।
2. ₹27360.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10,935.28 करोड़) की बंदी और ₹1,133.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9266.34 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है।
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।
4. पिछले वर्ष में की गई नई पुनर्संरचना में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण पर प्राप्त प्राप्यों को शामिल किया गया है।

घ. आरबीआई के परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.01.2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

पुनर्संरचित खातों की संख्या	राशि
17,419	627.64

ङ. तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	4,537.11	Nil
ii	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	5,139.76	12,926.65
iii	उप योग (क)	9,676.87	12,926.65
iv	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	4,537.11	8,389.54
v	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	5,139.76	4,537.11

पिछले वर्ष तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल के अधिग्रहण से प्राप्त प्राप्य शामिल हैं।

च. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	खातों की संख्या	47	32
ii	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	2,227.88	964.72
iii	समग्र प्रतिफल	4,330.99	1,304.36
iv	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/ (हानि)#	2,103.11	339.64

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

#इसमें प्रभार/(ब्याज) के रूप में जमा की गई ₹4.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ निरंक करोड़) की राशि शामिल है।

छ. प्रतिभूतीकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	1,075.12	-

ज. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

झ. बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

बैंक द्वारा मानक आस्तियों पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	बिक्री किए गए खातों की सं.	29	16
2)	कुल बकाया राशि	6,545.21	1,323.69
3)	प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	3,155.43	1,057.73

ञ. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	12,396.68	12,499.46

ट. कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचित योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

एसडीआर लागू किये गये खातों की संख्या	31 मार्च, 2019 को बकाया राशि		31 मार्च 2019 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है		31 मार्च 2019 को उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ठ. मौजूदा ऋण की नमनीय संरचना पर प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

अवधि	नमनीय संरचना हेतु लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों की :चंऊच		नमनीय संरचना हेतु लिए गए ऋणों के एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	आवेदन पूर्व नमनीय संरचना (वर्ष)	आवेदन पश्चात नमनीय संरचना (वर्ष)
पिछला वर्ष	2	1,254.32	-	3.55 वर्ष	9.67 वर्ष
चालू वर्ष	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ड. एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

बैंक द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन के निर्णय से प्रभावित खातों की संख्या	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन लंबित रहने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ऋण का इक्विटी में रूपांतरण / इक्विटी शेयरों की गिरवी का खंडन होने के संदर्भ में बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक को ताजा शेयर जारी कर स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पित हो या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री की बकाया राशि	
वर्गीकृत	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ढ. कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में विराम अवधि के अंतर्गत हैं)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन को प्रभावित करने का फैसला किया है	31 मार्च, 2019 को बकाया राशि		
	मानक रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

ण. 31.03.2019 को अनर्जक आस्तियों (एस 4 ए) की संवहनीय संरचना के लिए योजना का प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

एस4ए प्रयुक्त खाते		बकाया कुल राशि	बकाया राशि		प्रावधानीकृत
आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या		भाग ए में	भाग बी में	
मानक खाते	4	2,603.21	1,205.35	1,397.86	608.12
एनपीए	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

18.5 व्यवसाय अनुपात:

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.55%	6.37%
ii.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	0.99%	1.29%
iii.	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.49%	1.72%
iv.	आस्तियों पर आय*	0.02%	(-) 0.19%
v.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	18.77	16.70
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	33.39	(-) 243.33

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6 आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	20,801.66	67,397.57	38,395.92	70,124.55	1,09,112.89	1,04,290.94	2,80,613.69	5,56,965.57	5,31,671.81	3,03,630.51	8,28,380.90	29,11,386.01
	(18,801.34)	(62,884.68)	(36,410.72)	(59,039.39)	(1,02,902.64)	(95,934.27)	(2,68,120.10)	(5,02,239.16)	(5,05,095.20)	(2,82,468.59)	(7,72,447.20)	(27,06,343.29)
अग्रिम	23,338.39	13,259.37	10,239.57	38,815.39	31,390.31	33,817.93	69,805.47	1,00,265.25	10,91,890.56	2,90,220.65	4,82,834.03	21,85,876.92
	(9,505.35)	(22,201.83)	(23,146.72)	(96,137.66)	(47,241.42)	(61,224.31)	(1,17,078.25)	(2,73,529.68)	(2,87,544.39)	(2,47,962.40)	(7,49,308.18)	(19,34,880.19)
निवेश	22.36	6,432.46	2,525.26	13,582.82	8,105.72	22,921.96	25,099.70	42,890.15	1,66,758.51	1,81,538.37	4,97,144.64	9,67,021.95
	(79.71)	(1,753.94)	(7,824.29)	(7,044.03)	(41,927.02)	(29,445.22)	(33,385.93)	(55,415.07)	(164,722.92)	(174,516.31)	(5,44,872.27)	(10,60,986.71)
उधार-राशियाँ	16,679.67	89,536.61	3,684.07	20,965.35	57,773.72	20,810.07	27,681.37	34,911.01	47,258.20	28,896.05	54,821.00	4,03,017.12
	(217.95)	(84,918.90)	(38,244.45)	(19,866.70)	(23,856.81)	(23,304.46)	(25,422.91)	(30,492.51)	(44,182.98)	(23,658.96)	(47,975.44)	(3,62,142.07)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	43,190.02	3,268.05	3,451.22	10,523.17	18,236.76	16,732.11	35,576.40	41,045.46	95,815.96	83,623.23	39,988.32	3,91,450.70
	(2,410.92)	(2,875.52)	(3,525.69)	(22,501.88)	(13,481.32)	(17,334.18)	(31,977.62)	(40,927.39)	(145,715.96)	(74,935.97)	(37,041.66)	(3,92,728.11)
विदेशी मुद्रा देयताएँ	24,255.18	17,027.04	4,671.82	29,440.95	23,767.03	29,231.40	40,986.24	65,749.56	59,114.18	47,839.17	15,742.68	3,57,825.25
	(877.05)	(22,146.51)	(10,534.83)	(23,488.39)	(31,245.24)	(31,360.75)	(39,865.36)	(63,595.71)	(73,874.40)	(39,418.43)	(28,029.95)	(3,64,436.62)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश(निवल का प्रावधान) को दर्शाते हैं
$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क. स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	i) आवासीय बंधक	3,28,969.21	3,03,188.55
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	3,28,969.21	3,03,188.55
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसख्या >= 10 लाख) में (i) 35 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष 28 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 20 लाख रुपए)।	1,54,846.41	1,26,359.38
	ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	38,764.19	82,807.89
	iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य		
	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	-	266.05
	क) आवासीय	-	266.05
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	96,683.37	87,233.16
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**4,64,416.77**	**4,73,495.65**

ख. पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कारपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	8,438.87	8,471.07
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	24.41	31.47
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	26.07	1,084.72
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	8,114.07	12,187.75
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	135.91	200.15
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	1.68	3.36
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	Nil	Nil
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	Nil	Nil
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.13	215.00
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	2,185.02	1,948.56
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**18,926.16**	**24,142.08**

ग. जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अतः यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	90,015.33	96,534.70	121.06	111.18
बहुत कम	53,189.73	53,321.64	Nil	Nil
कम	11,366.00	11,110.42	Nil	Nil
मध्यम	17,523.32	13,480.60	Nil	Nil
अधिक	7,126.62	4,246.28	Nil	Nil
अत्यधिक	8,314.33	8,082.38	Nil	Nil
प्रतिबंधित	1,299.06	3,964.32	Nil	Nil
कुल	**1,88,834.39**	**1,90,740.34**	**121.06**	**111.18**

घ. एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही

ङ. अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5,22,939.34	3,60,240.30
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii)	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक ऋणी द्वारा फंड के अंतिम उपयोग की निगरानी नहीं करने के कारण बैंक पर ₹1.00 करोड़ का अर्थदंड लगाया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्विफ्ट परिचालन नियंत्रण संबंधी आरबीआई द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन नहीं करने पर ₹1.00 करोड़ का अर्थदंड लगाया है।
- सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन (सीबीबी) द्वारा बहरीन शाखा पर 5 डील में यूएसडी पैरिटी निर्देशों के अनुपालन न करने पर ₹0.92 करोड़ (बीएचडी 50,000) का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के समक्ष अपील दायर किया है और और सीबीबी के अंतिम निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पिछले वर्षः

ख. एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क. लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना :

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	67,824.90	12,872.60	7,291.02
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	410.51	286.07
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,001.49	713.71
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	3,610.00
अधिग्रहण पर हस्तांतरित हुई देयता	-	16,045.22	-	2,526.13
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,434.95	3,338.70	(107.62)	(18.74)
प्रदत्त लाभ	(3,966.53)	(4,190.42)	(1,987.93)	(1,535.59)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	85,249.60	64,560.42	9,140.76	7,281.18
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,615.37	5,908.09	711.15	709.95
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,391.18	4,363.79	2,359.86	226.90
अधिग्रहण पर हस्तांतरित आस्तियां	-	14,742.79	-	2,484.28
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	0.34	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,966.53)	(4,190.42)	(1,987.93)	(1,535.59)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	102.16	(25.96)
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
कमी/(अधिशेष)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	(2,707.50)
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	95,362.15	87,786.56	12,189.05	12,872.60
आस्तियाँ	90,399.61	85,249.60	10,326.00	9,140.76
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	3,731.84
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	(2,707.50)
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	410.51	286.07
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,001.49	713.71

(₹ करोड़ में)

	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(6,615.37)	(5,908.09)	(711.15)	(709.95)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	(0.34)	-	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	2,707.50	902.50
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	6,325.30	3,473.77	(209.78)	7.22
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	7,582.40	4,792.19	3,198.57	1,199.55
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,615.37	5,908.09	711.15	709.95
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	102.16	(25.96)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	6,725.02	5,773.02	813.31	683.99
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	2,536.96	3,264.48	1,024.34	9.84
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,582.40	4,792.19	3,198.57	1,199.55
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
	-	1,302.43	-	41.85
नियोक्ता का अंशदान	(2,391.18)	(4,363.79)	(2,359.86)	(226.90)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	4,962.54	2,536.96	1,863.05	1,024.34

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं

	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**	**योजना आस्तियों का %**
आस्तियों की श्रेणी	योजना आस्तियों	का %
	योजना आस्तियों	का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.69%	18.78%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	31.40%	33.96%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	31.93%	23.29%
म्यूचुअल फंड	2.39%	4.09%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2.63%	15.36%
अन्य	7.96%	4.51%
योग	100.00%	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण		**पेंशन योजनाएँ**
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.79%	7.76%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.79%	7.76%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
पेंशन बढ़ोतरी दर	0.40%	0.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.77%	7.78%
वेतन बढ़ोतरी	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधिशेष / कमी
ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,182.35	7,332.14	7,291.02	12,872.60	12,189.05
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,110.25	6,879.77	7,281.18	9,140.76	10,326.00
अंतर	72.10	452.37	9.84	3,731.84	1,863.05
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	2,707.50	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	72.10	452.37	9.84	1,024.34	1,863.05

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	(24.69)	326.09	10.62	399.62	(212.11)
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	106.04	(43.09)	182.34	(25.96)	102.16

योजना में अधिशेष / कमी
पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2015 को समाप्त वर्ष	31-03-2016 को समाप्त वर्ष	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	51,616.04	59,151.41	67,824.90	87,786.56	95,362.15
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	49,387.97	53,410.37	64,560.42	85,249.60	90,399.61
अंतर	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	2,228.07	5,741.04	3,264.48	2,536.96	4,962.54

एक्सपिरियंस समायोजन

(₹ करोड़ में)

योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,732.86	5,502.35	3,007.59	4,439.54	3,642.57
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	2,285.87	(162.93)	2,246.60	(135.07)	109.65

योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों की प्राप्ति कर्व से गृहीत बाजार बही मूल्य पर निर्धारित किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को बट्टा दर के अनुरूप रखा गया है।

जैसा कि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है। बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। इसके अनुसार चालु वर्ष में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन ठक्ष्ड्डरूडि देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	29,934.63	25,921.96
वर्तमान सेवा लागत	943.07	942.85
ब्याज लागत	2,475.08	2,428.48
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,330.76	1,357.28
हस्तांतरित हुई देयता	-	3,309.05
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	25.56
प्रदत्त लाभ	(4,195.61)	(4,050.55)
31 मार्च 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	30,487.93	29,934.63
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	31,502.49	26,915.23
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,475.08	2,428.48
अंशदान	2,273.83	2,300.13
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	-	3,723.65
प्रदत्त हितलाभ	(4,195.61)	(4,050.55)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	124.14	185.55
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	32,179.93	31,502.49
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,487.93	29,934.63
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,179.93	31,502.49
कमी/(अधिशेष)	(1,692.00)	(1,567.86)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,692.00	1,567.86
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	943.07	942.85
ब्याज लागत	2,475.08	2,428.48
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,475.08)	(2,428.48)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	943.07	942.85
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	943.07	942.85
नियोक्ता का अंशदान	(943.07)	(942.85)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

	भविष्य निधि
आस्तियों की श्रेणी	**योजना आस्तियों का %**
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	35.51%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.74%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.67%
म्यूचुअल फंड	1.46%
अन्य	6.62%
योग	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	**भविष्य निधि**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.55%	8.65%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19, ₹451.39 (पिछले वर्ष ₹390.00 करोड़ का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,242.18	4,754.10
वर्तमान सेवा लागत	259.33	208.26
ब्याज लागत	485.64	432.03
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	-	1,188.49
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	741.53	593.08
प्रदत्त लाभ	(858.28)	(933.78)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,870.40	6,242.18
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	259.33	208.26
ब्याज लागत	485.64	432.03

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	741.53	593.08
अनुसूची 16 -ठख्रस्ल्व्लद्धड्डद्रर्श को भुगतान एवं उनके लिए ख्द्धठ्ठद्द ठुक्ड में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1,486.50	1,233.37
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,242.18	4,754.10
उपरोक्तानुसार व्यय	1,486.50	1,233.37
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुए देयता	-	1,188.49
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(858.28)	(933.78)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	6,870.40	6,242.18

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹21.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹63.95 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारीयोंको भुगतान एवं उनके लिए प्रवाधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क. सं.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा छूट (नकदीकरण/उपयोग)	35.00	(10.88)
2	रुग्ण अवकाश	-	-
3	रजत जयंती अवार्ड	(1.47)	(27.87)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(4.15)	(13.23)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	**(7.85)**	**(11.97)**
योग		**21.53**	**(63.95)**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ख. लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्ट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i. ट्रेजरी

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii. कारपोरेट/थोक बैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv अन्य बैंकिंग व्यवसाय

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है। बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय #	77,651.11	78,599.78	1,20,968.24	-	2,77,219.13
	(82,020.76)	(63,280.84)	(1,11,809.55)	(-)	(2,57,111.15)
अन-आबंटित आय #					863.86
					(2,552.68)
कुल आय					2,78,082.99
					(2,59,663.83)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	6,831.17	(-) 16,262.12	12,730.51	-	3,299.56
	(48.05)	(- 38,498.98)	(19,412.16)	(-)	(- 19,038.77)
जोडें: अतिरिक्त मदें	473.12				473.12
	(5,436.17)				(5,436.17)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)#	7304.29	(-) 16,262.12	12,730.51	-	3,772.68
	(5,484.22)	(- 38,498.98)	(19,412.16)	(-)	(- 13,602.60)
अन-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					(-) 2,165.20@
					(-1,925.64)
कर पूर्व लाभ #					1,607.48
					(-15,528.24)
कर #					745.25
					(-8,980.79)
असाधारण लाभ #					Nil
					Nil
निवल लाभ #					862.23
					(-6,547.45)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	10,02,841.57	11,33,271.13	14,91,676.59	-	36,27,789.29
	(10,89,553.51)	(10,11,026.98)	(13,22,851.33)	(-)	(34,23,431.82)
अन-आबंटित आस्तियां *					53,124.96
					(31,320.18)
कुल आस्तियां *					36,80,914.25
					(34,54,752.00)
खंड देयताएं *	8,37,911.69	11,64,572.02	13,89,432.28	-	33,91,915.99
	(8,19,731.87)	(10,48,664.62)	(13,11,134.57)	(-)	(31,79,531.06)
अन-आबंटित देयताएँ*					68,084.44
					(56,092.38)
कुल देयताएँ *					34,60,000.43
					(32,35,623.44)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

@ ₹1,087.3 करोड़ की असाधारण मद सहित

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	2,63,866.57	2,48,361.36	14,216.42	11,302.47	2,78,082.99	2,59,663.83
परिणाम #	(-) 3,075.19	- 7,891.83	3,937.42	1,344.38	862.23	- 6,547.45
आस्तियाँ*	32,85,791.00	30,69,761.21	3,95,123.25	3,84,990.79	36,80,914.25	34,54,752.00
देयताएँ *	30,64,877.18	28,50,632.65	3,95,123.25	3,84,990.79	34,60,000.43	32,35,623.44

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
* 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार

ग. लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके लिमिटेड)
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
2. एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.
3. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.
4. एसबीआईकैप वैंचर्स लि.
5. एसबीआईडी डीएफएचआई लिमिटेड
6. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
7. एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
8. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
9. एसबीआई पेमेंटस सर्विसेज प्रा. लि.
10. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.
11. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
13. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि.
14. 15.12.2017 से एसबीआई बिज़नस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (इसे पहले जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. कहा जाता था) .
15. एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्यूरीटीज सर्विसेज प्रा.लि.
16. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
17. एसबीआई फाउंडेशन

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई कैप (यूके) लि.
3. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा
5. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम ग्रामीण बैंक
9. नागालैंड ग्रामीण बैंक
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ)
4. श्री बी. श्रीराम प्रबंध, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग) (30.06.2018 तक)
5. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी) (25.06.2018 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम एवं अनुपालन) (07.09.2018 से)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च 2019 को बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	46.09	निरंक	46.09
	(44.22)	(निरंक)	(44.22)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	97.66	निरंक	97.66
	(67.66)	(निरंक)	(67.66)
गैर-निधि दायित्व (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
जमा राशि	206.16	निरंक	206.16
	(205.68)	(निरंक)	(205.68)
अन्य देयताएँ	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
बैंकों में अधिशेष	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
निवेश	97.66	निरंक	97.66
	(77.10)	(निरंक)	(77.10)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
ब्याज व्यय	निरंक	निरंक	निरंक
	(0.09)	(निरंक)	(0.09)
लाभांश से अर्जित आय	19.26	निरंक	19.26
	(29.24)	(निरंक)	(29.24)
अन्य आय	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
अन्य व्यय	7.66	निरंक	7.66
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	निरंक	निरंक	निरंक
	(निरंक)	(निरंक)	(निरंक)
प्रबंधन संविदाएँ	निरंक	1.32	1.32
	(निरंक)	(2.05)	(2.05)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार लेनदेन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं।

घ) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	136.94	163.35
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	485.41	535.88
5 वर्ष के पश्चात	110.90	246.15
योग	**733.25**	**945.38**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹3,309.41 करोड़ (₹3,244.23 करोड़).

घ) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	24,000	95,10,83,092
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	862.23	(6,547.45)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	0.97	(7.67)
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	0.97	(7.67)
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

ङ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

क. वर्तमान कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹208.87करोड़ (पिछले वर्ष ₹673.54 करोड़ डेबिट) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर:-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹954.12 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹9,654.33 करोड़ क्रेडिट किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर देयता (डीटीए) ₹10,420 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹11,365.99 करोड़) रही, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹2.33 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीएल ₹2.80 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹10422.49 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹11,368.79 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	5,321.84	3,454.26
अग्रिम के लिए प्रावधान	4,142.69	4,197.64
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	753.11	743.57
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	10,741.74	13,862.05
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	235.77	-
अचल अस्तियों पर मूल्यह्रास	29.53	-
विदेशी कार्यालयों से	277.67	317.04
योग	**21,502.35**	**22,574.56**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	83.36
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,389.76-	6,315.01
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,690.10
विदेशी कार्यालयों से	2.33	2.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	-	117.30
योग	**11,082.19**	**11,208.57**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**10,420.16**	**11,365.99**

छ. लेखा मानक-27 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

निवेशों में ₹97.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹67.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	69.60 (39.60)	भारत	30%

एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	214.01	153.26
जमा-राशियाँ	5.50	-
उधार-राशियाँ	8.04	0.60
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	56.99	53.57
योग	**284.54**	**207.43**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	0.65	0.02
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	70.48	68.86
निवेश	90.95	49.47
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	28.53	8.91
अन्य आस्तियाँ	93.93	80.17
योग	**284.54**	**207.43**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	2.63	1.28
आय		
अर्जित ब्याज	8.70	4.13
अन्य आय	188.09	184.18
योग	**196.79**	**188.31**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.20	0.23
परिचालन व्यय	120.78	119.34
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	22.95	20.24
योग	**143.93**	**139.81**
लाभ	52.86	48.50

ज. लेखा मानक - 28 'आस्तियों की क्षति'

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

झ. लेखांकन मानक-29 "प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।

क्र. सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ओपशंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ञ. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	503.16	423.34
पूर्व सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	112.81	705.60
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	51.51	227.64
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	39.20	398.14
इतिशेष	525.26	503.16

पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहण के बाद पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबीएल से प्राप्ति का योग।

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते के व्यय शीर्ष में दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	491.13	673.54
- आस्थगित कर	954.12	(-) 9,654.33
- आय कर का प्रतिलेखन	(-) 700.00	-
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(-) 762.09	8,087.58
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	54,617.72	71,374.22
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 88.66	(-) 693.99
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 74.55	(-) 3,603.66
अन्य प्रावधान	136.13	(-) 124.95
योग	**54,573.80**	**66,058.41**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	193.75	25.14
पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों तथा भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण पर अधिगृहीत	-	168.61
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	193.75	193.75

पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहण के बाद पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक एवं बीएमबीएल से प्राप्ति का योग।

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति:

क. ग्राहक शिकायतें (एटीएम से संबंधित शिकायतों सहित)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	79,259	46,282
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	42,21,491	21,59,700
वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	41,61,721	21,26,723
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1,39,029	79,259

एक कार्य दिवस में निपटान किए गए शिकायतों को शामिल नहीं किया गया।

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	8	3
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	19	78
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	22	73
वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	5	8

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों

को भुगतान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र :

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक ने अपनी अनुषंगियों की ओर से निम्नलिखित चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए। (पिछला वर्ष ₹ निरंक)

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक सकल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात हेतु 78.73 % का प्रावधान किया गया। (पिछला 66.17%)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	951.90	714.75
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	270.86	212.57
मनु लाइफ फाइनैंसियल लि. एवं एनटीयूसी	1.20	1.05
टोकियो मैरिन एण्ड एसीई	1.63	0.32
यूनिट ट्रस्ट	0.47	0.26
एआईए सिंगापुर	0.64	0.07
योग	**1,226.70**	**929.02**

9. जमा राशियों, अग्रिम जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	90,609.54	1,19,585.93
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	3.11	4.42%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	2,89,222.17	1,95,211.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.61%	7.91%

ग. ऋण -जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	4,47,140.43	3,65,809.00
बैंक के कुल श्रॅ-श्दृड्डळ में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	12.80%	12.11%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	30,314.49	38,239.70

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,99,789.60	23,335.83	11.68	1,88,502.88	20,964.77	11.12
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	97,116.64	12,545.61	12.92	99,386.61	16,020.84	16.12
3	सेवाएँ	99,232.43	9,674.48	9.75	74,363.81	7,339.66	9.87
4	वैयक्तिक ऋण	1,59,419.70	2,882.01	1.81	1,04,507.85	3,332.33	3.19
	उप-योग (क)	5,55,558.37	48,437.93	8.72	4,66,761.15	47,657.60	10.21
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	19,403.93	89.00	0.46	3,753.61	301.93	8.04
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बड़े)	9,75,896.74	1,12,411.63	11.52	9,06,557.34	1,62,784.99	17.96
3	सेवाएं	2,47,541.38	8,007.30	3.23	2,20,925.77	9,264.85	4.19
4	वैयक्तिक ऋण	4,95,053.70	3,804.50	0.77	4,50,389.43	3,418.09	0.76
	उप-योग (ख)	17,37,895.75	1,24,312.43	7.15	15,81,626.15	1,75,769.86	11.11
ग	**योग (क)+(ख)**	**22,93,454.12**	**1,72,750.36**	**7.53**	**20,48,387.30**	**2,23,427.46**	**10.91**

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ तथा आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	3,95,123.25	3,84,990.79
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	1,937.19	7,199.29
3.	कुल राजस्व	14,216.42	11,302.47

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

(₹ करोड़ में)

	प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	
	देशीय	**विदेशी**
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में	संरक्षण क्रेता रूप में	संरक्षण विक्रेता रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाएं गए/जाएंगे ख) नकद निपटान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या प्राप्त/प्रदत्त की गई क्रेडिट इवेंट क) चालू वर्ष से संबंधित ख) पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/लाभ (खर्च/हानि) क) अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान : * अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल) * प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन क) लेनदेनों की संख्या ख) संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को) ख) संरक्षण की मात्रा (1 अप्रैल को)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	27,765.01	25,469.43
ii.	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	27,765.01	25,469.43
iii.	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	0.79%	0.84%
iv.	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अधिशेष	2,125.62	1,081.42
जमा : पूर्व सहयोगी बैंकों व भारतीय महिला बैंक के विलय पर अधिग्रहण / वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	736.65	1,050.31
घटा: दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा वापिस की गई राशियाँ	9.61	6.11
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष डीईए फंड में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल सेप्राप्त राशि अंतरित	2,852.66	2,125.62

डीईए फंड में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंक तथा बीएमबीएल से प्राप्त राशि अंतरित

17. बचाव नहीं (अनहेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च 2019 के अनुसार ₹98.13 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹86.44 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹43.19 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹66.49 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

क. स्टैण्डअलोन एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके।

एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए) का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हेयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्टार-2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2018 तिमाही की समाप्ति पर	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		6,99,153		7,30,337		7,39,148		6,93,460		6,74,894
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	3,23,269	16,163	3,21,119	16,056	3,06,105	15,305	3,00,005	15,000	2,78,238	13,912
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	18,50,120	1,85,012	18,22,082	1,82,208	17,90,924	1,79,092	17,59,076	1,75,908	17,51,396	1,75,140
3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	1,208	302	928	232	759	190	930	232	63	16
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	6,35,727	3,73,978	6,07,012	3,46,204	6,11,590	3,48,024	6,00,814	3,41,376	5,56,336	3,27,440
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	72,120	54	68,811	2	29,820	3	21,070	0	30,025	0
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,70,833	1,70,833	1,65,949	1,65,949	1,54,141	1,54,141	1,62,711	1,62,711	1,50,911	1,50,911
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	39,337	6,053	31,918	5,128	28,949	4,854	25,896	4,512	43,416	6,376
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	35,561	35,561	34,919	34,919	27,454	27,454	29,441	29,441	39,838	39,838
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,72,831	20,941	5,79,289	21,158	5,66,376	20,688	5,63,555	20,759	5,63,500	20,659
8	कुल नकदी बहिर्गमन नकदी अंतर्वाह	37,01,005	8,08,896	36,32,026	7,71,856	35,16,117	7,49,751	34,63,496	7,49,938	34,13,722	7,34,290
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,938	0	4,098	0	3,121	0	5,166	0	7,075	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,39,416	2,22,009	2,34,551	2,19,730	2,17,069	2,02,188	2,42,332	2,24,197	2,20,510	2,02,086
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	37,977	31,086	41,666	33,605	42,221	33,154	37,813	29,804	38,779	28,758
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2,85,331	2,53,095	2,80,315	2,53,335	2,62,411	2,35,343	2,85,311	2,54,001	2,66,364	2,30,844
13	कुल एचक्यूएलए		6,99,153		7,30,337		7,39,148		6,93,460		6,74,894
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		5,55,801		5,18,522		5,14,409		4,95,937		5,03,446
15	चलनिधि सुरक्षा अनुपात (%)		125.79%		140.85%		143.69%		139.83%		134.05%

नोट 1: आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में समाविष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित और अभारित राशि की गणना 1 जनवरी, 2017 से साधारण दैनिक औसत पर विचार करते हुए और जनवरी-मार्च 2019 तिमाही के लिए 69 डेटा बिन्दुओं को लेते हुए की जानी चाहिए।

नोट 2 : मार्च 2018 से जहां देशीय परिचालन के लिए दैनिक एलसीआर की ऑटोमेटेड गणना आरंभ की गई है वहां बैंक ने ऑफसा प्रणाली लागू की है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 18-19 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 125.79% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹6,99,153 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 93.26% थीं। सरकारी प्रतिभूतियां स्तर 1 अस्तियों की 96.77% थी। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 5.59% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 1.15% थीं। तुलन पत्र का आकार बढ़ जाने के कारण नकदी प्रवाह की निवल स्थिति में बढ़ोतरी हुई। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है, 49.34% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएल) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और आठ विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कोमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि।

एसबीआई समूह एलसीआर 31 मार्च 2019 को 125.96% तक निकलता है जो तीन महीनों, जनवरी, फरवरी और मार्च 2019 के औसत पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

एलसीआर घटक		मार्च 2019 तिमाही की समाप्ति पर		31 दिसंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 सितंबर, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		30 जून, 2018 तिमाही की समाप्ति पर		31 मार्च, 2018 तिमाही की समाप्ति पर	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
(1)	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		7,01,837		7,32,641		7,41,584		6,95,753		6,77,442
नकदी बहिर्गमन											
(2)	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
	(i) स्थिर जमाराशियाँ	3,30,107	16,505	3,27,747	16,387	3,12,981	15,649	3,06,889	15,344	2,80,782	14,039
	(ii) कम स्थिर जमा राशियाँ	18,59,217	1,85,922	18,31,275	1,83,127	17,99,879	1,79,988	17,67,538	1,76,754	17,58,364	1,75,836
(3)	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
	(i) परिचालन जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	1,333	333	1,048	262	888	222	1,109	277	177	44
	(ii) गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	6,37,579	3,75,202	6,09,736	3,48,144	6,14,172	3,49,945	6,03,745	3,43,707	5,58,884	3,29,566
	(iii) अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	प्रतिभूत थोक निधीयन	72,120	54	68,811	2	29,843	27	21,070	0	30,209	184
(5)	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिनमें से:										
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,70,834	1,70,834	1,65,954	1,65,954	1,54,142	1,54,142	1,62,715	1,62,715	1,50,912	1,50,912
	(ii) उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	41,230	6,839	33,689	5,729	30,693	5,430	27,455	5,024	44,693	6,877
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	36,556	36,556	35,568	35,568	27,999	27,999	30,017	30,017	40,639	40,639
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	5,74,764	21,000	5,81,286	21,219	5,68,430	20,750	5,65,635	20,822	5,65,427	20,718
8	कुल नकदी बहिर्गमन	37,23,741	8,13,245	36,55,114	7,76,393	35,39,028	7,54,152	34,86,173	7,54,660	34,30,087	7,38,817
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपों)	7,938	0	4,098	0	3,121	0	5,168	1	7,076	1
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	2,44,205	2,24,094	2,39,904	2,22,117	2,21,519	2,03,818	2,47,101	2,26,566	2,23,818	2,03,448
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	38,892	31,972	42,924	34,827	43,323	34,226	39,476	31,447	39,889	29,867
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2,91,034	2,56,066	2,86,926	2,56,945	2,67,962	2,38,043	2,91,745	2,58,014	2,70,783	2,33,316
13	कुल एचक्यूएलए		7,01,837		7,32,641		7,41,584		6,95,753		6,77,442
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		5,57,179		5,19,448		5,16,109		4,96,646		5,05,501
15	चल निधि सुरक्षा अनुपात (%)		125.96%		141.04%		143.69%		140.09%		134.01%

नोट 1 : 3 महीने के मासिक औसत डेटा ओवरसीज बैंकिंग अनुषंगियों के समझे गए हैं और दैनिक औसत एसबीआई (एकल) के लिए समझा गया है।

समूह एसक्यूएलए एसएलआर निवेश के रूप में अनिवार्य सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक का प्रावधान कर रहा है। कुल निधि स्रोतों का बड़ा हिस्सा खुदरा जमा राशियों के रूप में है और ऐसी निधियां विविधता पूर्ण हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की अल्पावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता है।

19. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई कुल 2,616 मामलों में ₹12,387.13 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछला वर्ष 1,789 मामलों में ₹2532.24 करोड़) में से 581 मामलों में ₹12,310.90 करोड़ (पिछला वर्ष 539 मामलों में ₹2,359.61 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है।

20. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

21. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹173.37 करोड़ (पिछला वर्ष ₹9.07 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

22. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	राशि	
1	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	16,272.75	350.00
2	पीएसएलसी कृषि	1,223.00	100.00
3	पीएसएलसी सामान्य	33,557.50	33,485.00
4	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	553.00	1,664.00
	योग	**51,606.25**	**35,599.00**

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

23. प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

24. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. दिनांक 6 जून 2018 को बैंकों ने एमएसएमई उधारकर्ताओं को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक्सपोजर्स जारी रखने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2019 को मानक आस्ति के रूप में 242.32 करोड़ रुपये के अग्रिमों को बनाए रखा है । परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, बैंक ने इन खातों पर ब्याज को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 की 12.12 करोड़ रुपए की मानक आस्ति व्यवस्था की है।

25. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या 25 के अनुसार डीबीआर. नंबर बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर सं. (क) 23 जून 2017 28 अगस्त 2018 की ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए बैंक दिनांक की तिथि के अनुसार क्रमश 34,554 करोड़ रुपए (कुल बकाया का 89.66%) का कुल प्रावधान कर रहा है 31 मार्च 2019 को किया गया है।

26. बैंक ने 1 नवम्बर 2017 से वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 3984.00 करोड़ रु (कुल 5643.41 करोड़ रु) का प्रावधान किया है।

27. (क) अनुसूची 14 के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) अन्य आय में भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर 473.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष) एसबीआई जीवन बीमा में आंशिक निवेश की बिक्री पर 5436.17 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ख) अनुसूची 14 के अंतर्गत विविध आय अन्य आय में एक व्यापार अंतरण करार के अनुसरण में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआई पेमेंट सवसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीपीएसपीएल) को बैंक के मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी) के अंतरण पर ₹1087.43 करोड़ रुपये शामिल हैं । दिनांक 29 सितम्बर 2018 के विचारार्थ ₹1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो अब साकार हो गया है।

28. आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		1607,48,31	(15528,24,16)
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3212,30,65	2919,46,63
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		34,98,24	30,03,00
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		2124,03,82	1120,61,02
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(473,12,00)	(5639,89,81)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		54529,06,14	70680,23,69
मानक आस्तियों पर प्रावधान		(74,55,42)	(3603,66,16)
निवेशों पर मूल्यह्रास / (मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान		(762,09,23)	8087,57,43
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		136,12,79	(124,95,17)
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(348,01,18)	(448,51,70)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		4112,28,55	4472,04,27
		64098,50,67	61964,69,04
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		205042,72,57	121022,95,24
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		37722,44,37	42629,85,28
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		94719,11,74	(136164,12,43)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(305525,79,00)	(136597,79,56)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		(21247,50,61)	(2214,19,47)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(33604,14,67)	(29086,42,24)
		41205,35,07	(78445,04,14)
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(6577,83,79)	(6980,20,58)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**34627,51,28**	**(85425,24,72)**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(2116,29,59)	(1104,10,39)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		473,12,00	5639,89,81
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों से आय		348,01,18	448,51,70
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(2663,43,31)	(4104,97,78)
विलय के कारण आंशिक पात्रताओं के संबंध में पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक लि. के शेयरधारकों को प्रदत्त की गई नकदी		-	(25,18)

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3958,59,72)**	**879,08,16**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल)		(8,74,21)	23782,45,47
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / (मोचन)		3033,20,00	(12603,22,50)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(4112,28,55)	(4472,04,27)
लाभांशों पर कर सहित प्रदत्त लाभांश		-	**(2416,26,71)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**(1087,82,76)**	**4290,91,99**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**1010,38,16**	**1291,94,79**
देशीय बैंकिंग अनुषंगियों तथा भारतीय महिला बैंक के विलय से प्राप्त नकद एवं नकद समतुल्य	**(ड.)**	**-**	**98890,28,99**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**30591,46,96**	**19926,99,21**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**191898,64,19**	**171971,64,98**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**222490,11,15**	**191898,64,19**
टिप्पणी :			
(1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2019**	**31.03.2018**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		176932,41,75	150397,18,14
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		45557,69,40	41501,46,05
		222490,11,15	**191898,64,19**
(2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

हस्ताक्षरकर्ता:

श्रीमती अंशुला कान्त
प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति, जोखिम) एवं अनुपालन

श्री अरिजित बसु
प्रबंध निदेशक
(सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
प्रबंध निदेशक
(ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुषंगियां)

श्री पी. के. गुप्ता
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
डॉ. गिरीश के. आहूजा
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ. पूर्णिमा गुप्ता
श्री चंदन सिन्हा
श्री संजीव मल्होत्रा
डॉ. पुष्पेंद्र राय
श्री बसंत सेठ
श्री भास्कर प्रामाणिक

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: स. क्र. 110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: स. क्र. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: स. क्र. 070487
फर्म पंजी सं. 000745सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: स. क्र. 053087
फर्म पंजी सं. 303029ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: स. क्र. 214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार: स. क्र. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स. क्र. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: स. क्र. 117987
फर्म पंजी सं. 104863डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: स. क्र. 108170
फर्म पंजी सं. 000722सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: स. क्र. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: स. क्र. 061380
फर्म पंजी. नं. 301072ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स. क्र. 018159
फर्म पंजी सं. 004610एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: स. क्र. 17643
फर्म पंजी सं. 302082ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) के संलग्न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 16 स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1 प्रशासनिक कार्यालय एवं व्यवसाय यूनिट, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 14758 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;

   iii) विदेश स्थित 38 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 8,447 शाखाओं (अन्य लेखा यूनिट सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 3 प्रतिशत, जमाराशियों में 11.44 प्रतिशत, ब्याज आय में 7.35 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 12.80 प्रतिशत है।

हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई हैं जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक की सही और उचित स्थिति;

ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2.हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9) अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित(बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	**हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्यापन किया गया:** - हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 59.38% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की उचित व्यवस्था विद्यमान होनी चाहिए का सत्यापन भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	- मॉनीटरिंग व्यवस्था जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था उपलब्ध है और यह कारगर है; हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार भी किया। हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं सीसीडीपी के माध्यम से उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में यह सहायता ली गई है।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 17 के नोट 2 के वित्तीय विवरण के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटी प्राप्ति और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटी में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.27% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनका अन्यों के साथ साथ इन निदेशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में आकलन करना होता है। इसी तरह आय में किन्हें शामिल नहीं करना है और इनके प्रति कितना प्रावधान करना है, इसका भी आकलन करना होता है। उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति करनी होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि निवेशों का भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के साथ साथ आतंरिक नीतियों एवं बैंक की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नानुसार सत्यापन किया है: क. डिजाइन और आंतरिक नियंत्रण तथा सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन कितने कारगर ढंग से किया गया है, इसका सत्यापन किया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए;

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान पर केंद्रित है।	घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।
iii	प्रावधानों का निर्धारण एवं आकस्मिक देयताएं 31 मार्च 2019 को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है। (अनुसूची 12, अनुसूची 18 के नोट 18.9 के साथ पढ़ा जाए।) प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक होता है, बैंक के आकलन के सात साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में वस्तुपरक विवेक से उपर्युक्त क्षेत्र को हमने महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/ विश्लेषणों पर केंद्रित है।	**हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल है:** क. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ख. विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना और/अथवा हाल के आदेशों को पढ़ा और बैंक द्वारा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को समझा। ग. जहाँ सुसंगत हो, बैंक द्वारा प्राप्त की गई हाल ही की स्वतंत्र विधिक/कर सूचना पर विश्वास किया और उसमें वर्णित आधारों का मूल्यांकन किया। और; घ. संबंधित मामलों के विवरण प्राप्त करना, चर्चा के जरिए बैंक का मूल्यांकन और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

4. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रकटीकरण सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें केवल बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो हम इस लेखारीक्षा तिथि के पहले प्राप्त कर चुके हैं तथा निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है, शामिल नहीं है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़े लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंध मंडल का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि केवल बैंक के वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।
एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक सु-नाम संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 14,796 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹14,00,731.01 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,06,540.62 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारा अभिमत विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 2 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं किः

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी ऑडिट के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं में हम नहीं गए।

ख. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।

ग. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.सी. भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार: स. क्र. 085669
फर्म पंजी सं. 001111एन

कृते चतुर्वेदी एण्ड शाह एलएलपी
सनदी लेखाकार

वितेश डी. गांधी
भागीदार: स. क्र. 110248
फर्म पंजी सं. 101720 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100355

कृते ओ. पी. तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस. आर. तोतला
भागीदार: स. क्र. 071774
फर्म पंजी सं. 000734सी

कृते एस. के. कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

संजीव कपूर
भागीदार: स. क्र. 070487
फर्म पंजी सं. 000745सी

कृते डी चक्रबर्ती एण्ड सेन
सनदी लेखाकार

डी.के. रॉय चौधरी
भागीदार: स. क्र. 053087
फर्म पंजी सं. 303029ई

कृते राव एंड कुमार
सनदी लेखाकार

अनिर्बान पाल
भागीदार: स. क्र. 214919
फर्म पंजी सं. 003089एस

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम. के. जुनेजा
भागीदार: स. क्र. 013117
फर्म पंजी सं. 001135एन

कृते एन.सी. राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी. चंद्रशेखरन
भागीदार: स. क्र. 024844
फर्म पंजी सं. 230448एस

कृते कर्नावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

समीर बी. दोशी
भागीदार: स. क्र. 117987
फर्म पंजी सं. 104863डब्ल्यू

कृते कलनी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

भूपेन्द्र मंत्री
भागीदार: स. क्र. 108170
फर्म पंजी सं. 000722सी

कृते ब्रह्मय्या एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

के. जितेन्द्र कुमार
भागीदार: स. क्र. 201825
फर्म पंजी सं. 000511एस

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

अभिजीत निओगी
भागीदार: स. क्र. 061380
फर्म पंजी. नं. 301072ई

कृते के.वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. गोपालकृष्णन
भागीदार: स. क्र. 018159
फर्म पंजी सं. 004610एस

कृते जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अजय कुमार अग्रवाल
भागीदार: स. क्र. 17643
फर्म पंजी सं. 302082ई

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई 2019

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची सं.	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,45,88
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	233603,19,93	229429,48,68
अल्पांश हित		6036,99,13	4615,24,51
जमा राशियाँ	3	2940541,06,11	2722178,28,21
उधार राशियाँ	4	413747,66,10	369079,33,88
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	293645,68,92	290249,75,29
योग		**3888467,06,31**	**3616444,56,45**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	177362,74,09	150769,45,69
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	48149,52,30	44519,65,14
निवेश	8	1119247,76,62	1183794,24,19
अग्रिम	9	2226853,66,72	1960118,53,51
अचल आस्तियाँ	10	40703,05,26	41225,79,26
अन्य आस्तियाँ	11	276150,31,32	236016,88,66
योग		**3888467,06,31**	**3616444,56,45**
आकस्मिक देयताएँ	12	1121246,27,83	1166334,80,21
वसूली के लिए बिल		70047,22,64	74060,22,00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर, ₹1 प्रति शेयर) [उपर्युक्त में प्रति ₹1 के 12,10,71,350 इक्विटी शेयर भी शामिल हैं (पिछले वर्ष प्रति ₹1 के 12,62,48,980 इक्विटी शेयर) इन्हें 1,21,07,135 वैश्विक जमा रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है (पिछले वर्ष 1,26,24,898)]	892,46,12	892,45,88
योग	**892,46,12**	**892,45,88**

अनुसूची - 2 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	65958,04,13	64753,52,12		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	386,05,90	1204,52,01		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	66344,10,03	-	65958,04,13
II	**पूंजी आरक्षित निधियाँ #**				
	अथशेष	9578,07,76	5246,09,99		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	379,20,76	4332,28,38		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	9957,28,52	30,61	9578,07,76
III	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79124,21,51	55423,23,36		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	37,92	23718,58,11		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	9,12,38	79115,47,05	17,59,96	79124,21,51
IV	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	6379,09,54	5073,92,01		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1143,03,70	1498,80,30		
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	66,75,03	7455,38,21	193,62,77	6379,09,54

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
V.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	24847,98,65		35593,88,13	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		662,40,83	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	194,04,57	24653,94,08	11408,30,31	24847,98,65
VI	**राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां**				
	अथशेष	53483,27,03		54644,18,21	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन ##	1213,96,33		3264,59,39	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	291,81,33	54405,42,03	4425,50,57	53483,27,03
VII	**लाभ और हानि खाते की शेष**				
			(8328,39,99)		(9941,19,94)
योग			233603,19,93		229429,48,68

समेकन पर निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹123,66,46 हजार (पिछला वर्ष ₹123,66,46 हजार)

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची - 3 जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**माँग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6722,18,31	5240,84,61
		(ii) अन्य से	201073,14,59	185795,42,20
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1102172,37,48	1019137,42,48
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	8235,22,81	15027,28,78
		(ii) अन्य से	1622338,12,92	1496977,30,14
योग			**2940541,06,11**	**2722178,28,21**
ख.	**I.**	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	2812134,71,07	2596232,33,79
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	128406,35,04	125945,94,42
योग			**2940541,06,11**	**2722178,28,21**

अनुसूची - 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ					
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक			96089,00,00		95394,09,00
(ii) अन्य बैंक			4741,05,31		4822,21,61
(iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण			32112,46,32		4370,23,49
(iv) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	19152,30,00			11835,00,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	29153,93,90	48306,23,90		33665,66,40	45500,66,40
योग		**181248,75,53**			**150087,20,50**
II. भारत के बाहर से उधार-राशियाँ					
(I) भारत के बाहर से उधार राशियाँ और पुनर्वित			229909,13,07		216974,38,38
(II) पूंजीगत लिखत					
क) नवोन्मेषी सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)	2074,65,00			1955,25,00	
ख) गौण ऋण एवं बांड	515,12,50	2589,77,50		62,50,00	2017,75,00
योग		**232498,90,57**			**218992,13,38**
कुल योग (I व II)		**413747,66,10**			**369079,33,88**
उपरोक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार-राशियाँ		**127177,07,29**			**108384,82,97**

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ और प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	23914,03,90	26667,07,53
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	-
III.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	21735,79,14	40734,57,50
IV.	उपचित ब्याज	14232,96,48	15996,01,47
V.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	4,17,10	5,38,82
VI	इंश्योरेंश व्यवसाय में पॉलिसीधारक संबंधी देयताएं	140095,62,31	115128,68,83
VII	स्टैंडर्ड आस्ति के लिए प्रावधान	12709,13,43	12717,18,97
VIII	अन्य (प्रावधान सहित)	80953,96,56	79000,82,17
योग		**293645,68,92**	**290249,75,29**

अनुसूची - 6 नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	19144,28,44	15796,02,76
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
I. चालू खाते में	158197,60,63	134973,42,93
II. अन्य खाते में	20,85,02	-
योग	**177362,74,09**	**150769,45,69**

अनुसूची - 7 बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	971,83,35	380,85,00
(ख) अन्य जमा खातों में	1959,46,21	2275,38,97
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि		
(क) बैंकों में	4608,88,73	1613,94,26
(ख) अन्य संस्थाओं में	-	-
योग	**7540,18,29**	**4270,18,23**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	20571,96,27	29445,08,67
(ii) अन्य जमा खातों में	3205,38,56	1550,38,84
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	16831,99,18	9253,99,40
योग	**40609,34,01**	**40249,46,91**
कुल योग (I एवं II)	**48149,52,30**	**44519,65,14**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	817674,70,52	898369,89,37
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	13769,53,82	9203,62,94
(iii) शेयर	42825,92,12	36902,41,97
(iv) डिबेंचर और बांड	123765,40,08	108220,08,31
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां	3383,71,53	3061,30,04
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड के यूनिट, कमर्शियल पेपर आदि)	63880,18,56	80682,84,64
योग	**1065299,46,63**	**1136440,17,27**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (इसमें स्थानीय प्राधिकरणों की भी सम्मिलित हैं)	14513,99,84	13318,89,79
(ii) सहयोगी	136,33,52	113,74,52
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर आदि)	39297,96,63	33921,42,61
योग	**53948,29,99**	**47354,06,92**
कुल योग (I एवं II)	**1119247,76,62**	**1183794,24,19**
III. भारत में निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1076593,00,40	1148190,17,89
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11293,53,77	11750,00,62
निवल निवेश (ऊपर I के अनुसार)	**1065299,46,63**	**1136440,17,27**
IV. भारत के बाहर निवेश		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	54146,46,58	47900,20,34
(ii) घटाएँ: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	198,16,59	546,13,42
निवल निवेश (ऊपर II के अनुसार)	**53948,29,99**	**47354,06,92**
कुल योग (III एवं IV)	**1119247,76,62**	**1183794,24,19**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क)	I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	81528,37,41	68767,36,05
	II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय ऋण	799218,03,33	758550,41,15
	III. सावधि ऋण	1346107,25,98	1132800,76,31
योग		**2226853,66,72**	**1960118,53,51**
ख)	I. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं)	1603654,21,87	1515859,93,23
	II. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	80289,66,46	68812,50,75
	II. अप्रतिभूत	542909,78,39	375446,09,53
योग		**2226853,66,72**	**1960118,53,51**
ग)	I. भारत में अग्रिम		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	520729,77,60	448358,95,60
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	240295,89,39	161939,24,46
	(iii) बैंक	9494,93,60	3280,07,87
	(iv) अन्य	1127585,24,83	1031896,41,62
योग		**1898105,85,42**	**1645474,69,55**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
II. भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	69802,85,72	77109,63,56
(ii) अन्यों से प्राप्य		
(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	26741,06,57	14668,01,47
(ख) सिंडीकेट ऋण	150765,88,72	124511,75,00
(ग) अन्य	81438,00,29	98354,43,93
योग	**328747,81,30**	**314643,83,96**
कुल योग [(ग -I एवं ग - II)]	**2226853,66,72**	**1960118,53,51**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**परिसर**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित परिसर	30933,23,37	42107,56,59	
	परिवर्धन:			
	-वर्ष के दौरान	707,34,92	119,06,88	
	-पुनर्मूल्यांकन के लिए	-	-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	39,60,68	11293,40,10	
	अद्यतन मूल्यह्रास			
	- लागत पर	793,71,67	666,86,16	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	497,17,97	30310,07,97	308,66,78	29957,70,43
II.	**अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)**			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन पर	31649,29,47	28512,42,79	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3018,06,52	4165,17,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1481,92,84	1028,30,84	
	अद्यतन मूल्यह्रास	23627,73,26	9557,69,89	21359,74,23	10289,55,24
III.	**लीज्ड आस्तियां**			
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पुनर्मूल्यांकन	120,02,20	117,38,81	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	35,64,65	6,85,52	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	57,63	4,22,13	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	82,11,57	66,55,50	
		72,97,65	53,46,70	
	घटाएं : लीज़ समायोजन खाता	-	72,97,65	-	53,46,70
IV.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		762,29,75		925,06,89
योग (I, II, III एवं IV)			**40703,05,26**		**41225,79,26**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	7,71,53	-
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	123,67,98	26,70,13
III.	प्रोद्भूत ब्याज	29047,16,58	28002,40,66
IV.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	24699,95,89	17728,89,88
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	133,99,80	125,47,34
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	23,65,84	30,41,48
VII.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	10983,19,07	11837,70,33
VIII.	नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई जमाराशियां	138245,29,37	95643,16,91
IX.	अन्य #	72885,65,26	82622,11,93
योग		**276150,31,32**	**236016,88,66**

इसमें समेकन आधार पर साख ₹1734,07,01 हजार (पिछले वर्ष ₹1734,07,01 हजार)

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	43964,90,09	35546,03,53
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों/जोखिम निधि के लिए देयता	1127,87,61	619,44,30
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता	597800,34,53	644808,04,15
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	157417,08,56	149282,50,36
	(ख) भारत के बाहर	72739,27,63	67762,40,06
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व	124526,15,33	121900,95,22
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	123670,64,08	146415,42,59
योग		**1121246,27,83**	**1166334,80,21**
कलेक्शन बिल		**70047,22,64**	**74060,22,00**

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2019 को समेकित लाभ/हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची सं.	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	253322,14,36	228970,27,66
	अन्य आय	14	77365,21,58	77557,39,04
	योग		**330687,35,94**	**306527,66,70**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	155867,46,03	146602,98,20
	परिचालन व्यय	16	114800,30,80	96154,51,90
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		56950,51,70	67957,57,98
	योग		**327618,28,53**	**310715,08,08**
III.	**लाभ/(हानि)**			
	निवल लाभ/(हानि) वर्ष के लिए (एसोसिएट एवं आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं के लाभ में अंश के समायोजन से पूर्व)		3069,07,41	(4187,41,38)
	जोड़ें: एसोसिएट के लाभ में शेयर		281,47,94	438,15,98
	घटाएं: आधे से कम हिस्सेदारी वाली संस्थाओं का/की		1050,91,44	807,03,60
	समूह का निवल लाभ/(हानि)		2299,63,91	(4556,29,00)
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)		(9941,19,94)	(4340,03,96)
	योग		**(7641,56,03)**	**(8896,32,96)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		386,05,90	59,94,63
	अन्य निधियों का अंतरण		243,79,58	921,21,43
	वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के डिविडेंड का भुगतान (इसमें डिविडेंड पर कर भी शामिल है)		-	-
	वर्ष के दौरान डिविडेंड		-	-
	डिविडेंड पर कर		56,98,48	63,70,92
	तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष		(8328,39,99)	(9941,19,94)
	योग		(7641,56,03)	(8896,32,96)
	प्रति शेयर मूल आय		**₹ 2.58**	**₹ (5.34)**
	प्रति शेयर कम की गई आय		₹2.58	₹ (5.34)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का एक अभिन्न भाग है।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	166124,58,30	144958,59,17
II.	निवेशों पर आय	80243,50,66	75036,61,62
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	1324,75,88	2410,75,18
IV.	अन्य	5629,29,52	6564,31,69
योग		**253322,14,36**	**228970,27,66**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	22801,37,60	22829,85,38
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)#	3933,13,61	14170,08,63
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(2124,03,82)	(1120,61,02)
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों लीज़्ड आस्तियों सहित की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(32,35,82)	(30,73,27)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2209,07,07	2522,45,61
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/से लाभांश	11,71,87	15,45,97
VII.	वित्तीय पट्टे से आय	-	-
VIII.	क्रेडिट कार्ड सदस्यता/ सेवा शुल्क	3179,78,08	2126,48,67
IX.	इंश्योरेंस प्रीमियम आय (निवल)	35225,02,54	26925,87,69
X.	बट्टे खाते से की गई वसूली	8607,44,37	5522,46,46
XI.	विविध आय	3554,06,08	4596,04,92
योग		**77365,21,58**	**77557,39,04**

निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित ₹466.48 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 5036.21 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	140920,19,82	136109,15,67
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधार-राशियों पर ब्याज	10103,57,61	5686,89,92
III.	अन्य	4843,68,60	4806,92,61
योग		**155867,46,03**	**146602,98,20**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	43795,01,41	35410,62,16
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5553,08,91	5392,58,19
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	595,00,09	603,44,87
IV.	विज्ञापन और प्रचार	2360,81,37	1997,56,23
V.	(क) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (लीज्ड आस्तियों के अतिरिक्त)	3479,97,41	3094,39,40
	(ख) लीज्ड आस्ति पर मूल्यह्रास	15,91,80	10,67,70
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	9,71,04	6,53,54

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
VII. लेखा/परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	307,00,17	296,38,24
VIII.विधि प्रभार	578,53,06	501,90,13
IX. डाक व्यय, तार और टेलीफोन आदि	568,56,57	671,28,78
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1057,77,33	971,89,71
XI. बीमा	2860,59,09	2774,59,09
XII. क्रेडिट कार्ड परिचालन से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	1105,59,01	1155,03,28
XIII.बीमा व्यवसाय से संबंधित अन्य परिचालन व्यय	37907,82,48	29377,17,22
XIV. अन्य व्यय	14604,91,06	13890,43,36
योग	**114800,30,80**	**96154,51,90**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार :

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी); जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी म्यूचुअल फंड्स) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारत में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं। विदेशी संस्थाओं के मामले में विदेशी संस्थाओं पर लागू सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंध-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

ग. समेकन का आधार

1. समूह (जिसमें 29 अनुषंगियां, 8 संयुक्त उद्यम और 20 सहयोगी शामिल हैं) के वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

ख. लेखा मानक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया/लेनदेन, अवसूल लाभ/हानि को अलग करके तथा असमरूप लेखा नीतियों के लिए जहां आवश्यक हुआ है, वहां आवश्यक समायोजन करने के उपरांत अनुषंगियों की ऑस्ति/देयता/आय/व्यय का (मूल कंपनी की इन्हीं मदों से) क्रमशः अक्षरशः समेकन किया गया है।

ग. संयुक्त उद्यमों का समेकन - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक -27 "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना " के अनुसार समानुपातिक समेकन किया गया है।

घ. सहयोगियों में किए गए निवेश का लेखाकरण "इक्विटी पद्धति" के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखाकरण" के अनुसार किया गया है।

ङ "कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना" से संबंधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में कंपनियों में प्राप्त किए गए नियंत्रण हित पर न तो समेकन के लिए विचार किया गया है और न ही ऐसे निवेश को अनुषंगी/सहयोगी में निवेश के रूप में समझा गया है कारण कि यह नियंत्रण कार्यक्षम प्रकृति का है, भागीदार का नहीं।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षितों के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत है:

क. जिस तिथि को अनुषंगी में निवेश किया गया है, उस तिथि को अल्पांश हित की इक्विटी - राशि, और

ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/हानि(इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार चढ़ाव।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण:

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय एवं व्यय को उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार शामिल किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।

1.2 ब्याज/ छूट आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भवन आधार पर निर्धारण दिखाया गया है जो इनके अतिरिक्त हैः (i) अग्रिमों, पट्टों और निवेशों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) निवेशों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज (iii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे वसूली के आधार पर लेखे में लिया गया है को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में दिखाया जाता है। तथापि "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे में बकाया निवल निवेश पर पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर लगाकर किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल निवेश के समान राशि को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 19 - "पट्टे" के अनुसार अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टों का किराया मूल राशि और वित्त आय में संविभाजित किया गया है जोकि वित्त पट्टों के संबंध में बकाया निवल निवेशों के नियत आवधिक प्रतिफल के रुझान पर आधारित है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल निवेश की शेष राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

1.5 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत स्वीकृत किया गया है :

i) ब्याज सहित प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/शोधन के समय मान्य किया गया है।

ii) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर, लाभांश आय को शामिल किया गया है।

1.7 इस अवधि में एलसी / बीजी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से शामिल किया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय उनकी प्राप्ति के आधार पर शामिल की गई है।

1.8 विशेष आवास ऋण योजना (दिसम्बर 2008 से जून 2009) के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम को 15 वर्ष की अवधि के औसत ऋण पर परिशोधित किया गया है।

1.9 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए किए गए भुगतान/खर्च को, दी गई दलाली, कमीशन व संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से खर्च में दिखाया गया है।

1.10 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, :-

i. जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी को करता है तो इसे अपने खातों से हटा देता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटा कर) से कम है तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

iii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है तो आरबीआई की अनुमति के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.11 गैर-बैंकिंग इकाइयां

मर्चेण्ट बैंकिंग :

क. ग्राहक के साथ हुए करार के अनुसार और सुपुर्द कार्य को पूर्ण करने के चरण के आधार पर निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क प्रभाव अंतरण को घटाकर शामिल किया गया है।

ख. सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद निजी स्थानन शुल्क को शामिल किया गया है।

ग. शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

घ. सार्वजनिक निर्माण से संबंधित कमीशन को सार्वजनिक निर्गम के आवंटन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात बिचौलियों से सूचना प्राप्त होने पर लेखे में लिखा गया है।

ङ. सार्वजनिक निर्गम/म्यूचुअल फंड/अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित दलाली आय को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद लेखे में लिया गया है।

च. निक्षेपागार आय-वार्षिक अनुरक्षण प्रभार प्रोद्भवन आधार पर शामिल किए गए हैं और लेनदेन प्रभार लेनदेन की संव्यवहार तिथि को शामिल किए गए हैं।

आस्ति प्रबंधन

क. संबंधित योजनाओं में विशिष्ट दरों पर प्रबंधन शुल्क को आय से शामिल किया गया है। उन दरों को प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर लगाया गया है। (इसमें जहां लागू हो, अंतर-योजना विनिधान और संबंधित योजनाओं में कंपनी द्वारा किए गए विनिधानों को शामिल नहीं किया गया है) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

ख. संविदा के शर्तों के अनुसार, संविभाग प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को प्रोद्भवन आधार पर शामिल किया गया है।

ग. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली प्राप्ति आधार पर लेखे में ली गई है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप मे माना गया है।

घ. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर प्रदान दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में रियायत वापसी अवधि के दौरान परिशोधित किया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

क. सदस्यता ग्रहण शुल्क केवल सदस्यता ग्रहण का अधिकार प्रदान करती है और न कि अन्य कोई अधिकार/विशेषाधिकार और इसलिए प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ख. विनिमय आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है।

ग. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। अपलिखित किए गए खातों वाले ग्राहकों के संबंध में 6 महीने से अधिक और 3 वर्षों तक की अनुमानित अनिर्धारित प्राप्तियों को तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की गत अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

घ. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

फैक्टरिंग :

फैक्टरिंग प्रभार कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों को फैक्टरिंग पर उपचित हुए हैं। प्रक्रिया प्रभारों को तभी आय के रूप में शामिल किया गया है जब प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात इसके प्राप्त होने की पर्याप्त निश्चितता है। सभी सक्रिय मानक खातों के संबंध में सुविधा निरंतरता शुल्क (एसीएफ) की गणना की गई है और अगले संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए उसे मई महीने में प्रभारित किया गया है। 01 मई को एसीफ के प्रोद्भवन की तिथि के रूप में समझा गया है।

जीवन बीमा :

क. पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, एसोसिएटेड इकाइयों के आवंटन के समय प्रीमियम आय का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न बीमा उत्पादों के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुनः प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

ख. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

ग. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं : पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

घ. इक्विटि प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में वसूल हुए लाभ एवं हानियों की गणना निवल बिक्री आगम राशियों और उनकी लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, वसूल हुए लाभ एवं हानि की गणना निवल बिक्री आगम राशियों या मोचन अगाम राशियों और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की इकाइयों के संबंध में लागत की गणना भारित औसत पद्धति से की जाती है।

ङ. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पीआर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

च. पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के पुनर्बीमाकर्ता के साथ हुई सीधे अथवा सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

छ. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकृत करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

ज. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और इनका भुगतान व्यय के समय ही कर दिया जाता है।

झ. **जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :** सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों व विनियमों तथा परिपत्रों के अनुसार और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चूअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सबंधित मार्गदर्शी नोटों के अनुसार नियुक्त किए गए बीमांकनकर्ता द्वारा की जाती है।

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध में देयता की गणना भावी सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। वर्तमान और भावी अनुभव को ध्यान में रखते हुए भावी अनुमानों के आधार पर एक सुनिश्चित देयता की गणना की जाती है। संबद्ध व्यवसाय से संबंधित इकाई देयता को मूल्यन तिथि को लागू निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके

पॉलिसी धारकों के नाम में विद्यमान इकाइयों के मूल्य के अनुरूप लिया जाता है। विभिन्न बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन यूएलआईपी व्यवसाय का मूल्यांकन पद्धति के अनुरूप ही किया जाता है कारण कि पॉलिसी धारक के खाते में पड़ी हुई जमा राशि को और खर्च पूरा करने के लिए खर्चों की पर्याप्तता के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को देयता के रूप में समझा जाता है।

साधारण बीमा :

क. प्रीमियम जिसमें स्वीकृत की गई पुनर्बीमा शामिल है, को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बहियों में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किश्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

ख. बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

ग. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत जोखिम के शुरुआत होने के आधार पर उपचित हुई है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के अनुसार हिसाब लिया गया है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

घ. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्त मात्र में हिसाब में लिया गया है।

ड. अधिग्रहण लागतें जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिसमें वे उपस्थित हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है।

च. दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। तुलनपत्र को देय बकाया दावों से संबंधित प्रावधान में से पुनर्बीमा अवशिष्ट मूल्य और प्रबंधन द्वारा अनुमानित अन्य वसूलियों को घटाया जाता है। पुनर्बीमा एवं सह-बीमा व्यवस्था से क्रमशः पुनर्बीमाकर्ताओं/सह- बीमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को एक साथ दावे के अंतर्गत लिया गया है। प्रबंधन के द्वारा तुलन पत्र की तिथि को पुनर्बीमा, निस्तारण मूल्य और अन्य प्राप्तियां बकाया दावा के रूप में प्रावधान किया गया है।

छ. दावा देयताओं के संबंध में प्रावधान जो किसी लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व उत्पन्न हुए होते परंतु

- जिसे लेखा अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचित या दावा नहीं किया गया है (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किया गया है, (अर्थात् इस टिप्पणी के साथ सूचित किया गया है कि संभावित दावा राशि का एक उचित अनुमान लगाने के लिए सूचना अपर्याप्त के साथ सूचित की गई है (आईबीएनईआर)।

प्रावधान वह राशि है जो आईआरडीएआई की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसायटी द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी अन्य निर्देशों के अनुसार बीमांकिक व्यवहार सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकनकर्ता द्वारा निर्धारित की गई है।

अभिरक्षा एवं निधि लेखांकन सेवाएं :

आय का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इस आय का विश्वासपूर्वक मापन किया जा सकेगा।

पेंशन निधि परिचालन :

प्रबंधन शुक्ल की गणना संबंधित योजनाओं के तहत स्वीकृत विशिष्ट दरों पर जो प्रत्येक योजना की दैनिक निवल आस्तियों के आधार पर लगाई गई है। यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी सेवा कर / वस्तू एवं सेवा कर को घटाकर लेखों में आय प्रस्तुत करती है।

न्यासी परिचालन :

क. म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस की गणना संबंधित योजनाओं के लिए सहमत की गई विशिष्ट दरों पर की गई है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

ख. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप एक्सेप्टेंस फीस की गणना ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या के निष्पादन, जो भी पहले हो, पर की गई है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार की गणना ग्राहकों के साथ हुई ट्रस्टीशिप संविदाओं/ करारों के अनुसार की गई है / प्रोद्भूत हुई है।

ग. ऑनलाइन "वसीयतनामा" सेवाओं से प्राप्त आय की गणना तब की जाती है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसी आय की निश्चित गणना इस समय ऐसे अधिकार प्राप्त होने पर की जाती है।

आंतरिक संरचना और सुविधा प्रबंधन :
उक्त संविदागत कार्य जब भी वेंडर को दिया जाता है और वेडंर द्वारा कार्य तय करार के अनुसार पूरा किया जाता है तो प्रबंधन से प्राप्त आय और परामर्श फीस को हिसाब में लिया जाता है।

व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय:

क. छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर, प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने के आधार पर आय की गणना जाती है और सेवाओं के पूरा किए जाने आय को हिसाब में लिया है।

ख. पीओएस स्थापित करने पर होने वाली आय या तो सेवा देने की अवधि के दौरान या तय की गई दरों और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिय जाता है।

ग. आय प्राप्त लेकिन रखरखाव तैनाती अनुबंध के खाते द्वारा अर्जित नहीं मानी जाती है। आय को आस्थगित किया और देनदारियों में शामिल तब माना जाता जब तक कि आय मान्यता मानदंड पूरा नहीं किया जाता है। अर्जित आय, लेकिन बिल नहीं की गयी का अर्थ है किए गए कार्य पर प्राप्त आय, लेकिन अनुबंध की शर्तों के आधार पर बाद की अवधि में बिल की गई मानी जाती है ।

घ. मर्चेंट एक्वायरिंग की सेवाएं प्रदान करने की आय को पूरी लागत और ऐसी लागतों की बढ़ी हुई लागत के रूप में दर्शाया जाता है।

ङ आय उस सीमा तक मान्य है बशर्ते है की आर्थिक लाभ होगा और आय को ठीक से मापा जा सकता है

2. निवेश:

सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन को "निपटान तिथि" (सेटलमेंट डेट) पर दर्ज किया गया है ।

2.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)

2.2 वर्गीकरण का आधार:

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

2.3 मूल्यांकन:

क. बैंकिंग व्यवसाय

i. किसी निवेश की अधिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में:

क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है।

ख. निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

ग. ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

घ. निवेश की लागत का निर्धारण, समूह की संस्थाओं द्वारा "विक्रय के लिए उपलब्ध" एवं "व्यवसाय के लिए रखे गए" श्रेणी के तहत निवेश हेतु भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार एवं एसबीआई द्वारा 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के लिए फीफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) आधार पर किया गया है तथा समूह की अन्य संस्थाओ द्वारा भारित औसत लागत प्रणाली के तहत किया गया है।

ii एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णतः प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

iii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

iv. **"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी:** "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है जब तक कि उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक न हो, जिसमें प्रीमियम को बची हुई परिपक्वता अवधि के लिए नियत आय आधार पर परिशोधित किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है। अस्थायी से इतर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग, कमी की पूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश जिसे रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर आईसीएआई के लेखा मानक 23 के अनुरूप मूल्यांकित किया गया है।

v. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:** एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) (सरकारी प्रतिभूतियाँ) (ii) (अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) (iii) (शेयर) (iv) (बांड एवं ऋणपत्र) (v) (अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम) और (vi) अन्य के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है। मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है।

vi. प्रतिभूति रसीद जारी करने के बदले प्रतिभूतिकरण कंपनी / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटा कर) ii) प्रतिभूति के मोचन, दोनों में जो भी कम हो, मान्य किया जाता है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के मूल्य का नॉन एसएलआर के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे निवेश के मूल्यन के लिए की गई है।

vii. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देशी कार्यालयों के निवेश निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं:

क. ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

ख. इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को ₹1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

ग. यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को और जारीकर्ता द्वारा निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

घ. उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

ङ. ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जो अग्रिम प्रकृति के माने गए हैं, उन पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

च. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

viii. **रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) का लेखाकरण:**

क. रेपो /रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक ऋण लेन-देन के रूप में लेखांकित किया गया है। परंतु एकमुश्त विक्रय / क्रय लेनदेन मामलों की तरह प्रतिभूतियों को अंतरित किया गया है और इस तरह के अंतरणों को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रिपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय/ विक्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/ आय के रूप में लेखे में लिया गया है।

बाजार पुनर्खरीद और प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उधार लेने और उधार देने के लेनदेन के रूप में माना गया है।

ख. बीमा व्यवसाय :

जीवन और साधारण बीमा अनुषंगियों के मामले में, निवेश बीमा अधिनियम, 1938, आईआर डीएआई (निवेश) विनियम, 2016, कंपनी और आईआरडीए (बीमा कपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण) विनियम, 2002, कंपनी का निवेश नीति और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा तथा निर्गमित विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किए गए हैं।

(i) गैर-संबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अभिवृद्धि के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रुमेंट्स और प्रेफ्रेन्स शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एनएसई' पर बाजार बंद होने के समय शामिल किया जाता है। यदि एनएसई का बाजार बंद होने का मूल्य उपलब्ध न हो तो द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') के बंद होने के मूल्य को शामिल किया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, इक्विटी संबंधित लिखतों और अधिमान शेयरों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपर्युक्तानुसार इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।
- वैकल्पिक निवेश निधियों के निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिविर्तन के कारण होने वाले अवसूल लाभ या हानियाँ ''आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)'' में और ''बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)'' क्रमशः तुलनपत्र में लिए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

- एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है एक वर्ष से कम परिपक्वत अवधी वाली सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों परिपक्वता पर प्रतिफल आधार पर किया जाता है यदि प्रतिफल का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदत उस बाजार मूल्य का उपयोग किया जाता है जो प्रतिभूति को अल्पवादी के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले दिनका होता हैं। यदि प्रतिभूति उसकी अल्पावादी के दौरान खरीदी जाती है तो परिपक्वता पर प्रतिफल पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत का मूल्यांकन किया जाता है। अगर प्रतिभूति में ऑप्शन हो तो प्रारंभिक कॉल ऑप्शन/ पुट ऑप्शन की तिथि को परिपक्वता तिथि के रूप में लिया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन या परिपक्वता आधार पर बट्टा की दशा में मुद्रा बाजार प्रतिभूति को ऐतिहासिक दर पर मूल्य अंकित किया जाता है।
- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य का उपयोग किया जाता है। एनएसई में सूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बीएसई के बाजार बंद होने के समय के आखिरी उद्धत मूल्य पर किया गया है।
- असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का आंकन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉण्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अवसूल लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान:

3.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँः

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेष राशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. कृषि अग्रिमों के संबंध में जब (अ) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल- ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ब) दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल-ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया हैः

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक वर्ग में रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि होने की जानकारी मिली है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :

i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान

ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ कुछ बचाव उपाय, जैसे एस्क्रो खाते आदि उपलब्ध हैं, से सम्बन्धित प्रतिभूति-रहित जोखिम - 20%

संदिग्ध आस्तियाँ:

- प्रतिभूत भाग

i. एक वर्ष तक - 25%

ii. एक से तीन वर्ष तक - 40%

iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%

- अप्रतिभूत भाग 100%

हानिप्रद आस्तियाँ : 100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्संरचनागत/पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप पुनर्संरचना के पहले एवं बाद में हुए ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य का अंतर प्रावधान के तौर पर संबंधित ऋण/अग्रिम के लिए व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी में एवं त्याग किए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार मूलधन या बकाया ब्याज की एनपीए में वसूली का समायोजन (संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत नवीन/अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाओं से बाहर नहीं) निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

4. अस्थिर प्रावधान:

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु एक नीति है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, परस्पर मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है ।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम " में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दिए गए प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास / परिशोधन घटाकर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय / व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

7.3 घरेलू परिचालन के संदर्भ में मूल्यह्रास की दर और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	सीधी रेखा पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/ कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
5	सर्वर	सीधी रेखा पद्धति	25.00% प्रति वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	सीधी रेखा पद्धति	20.00% प्रति वर्ष
7	अन्य अचल आस्तियां	सीधी रेखा पद्धति	आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर। प्रमुख अस्थायी आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार रहता है: परिसर - 60 वर्ष; वाहन - 5 वर्ष; सुरक्षित जमा लॉकर - 20 वर्ष; फर्नीचर व फिक्सचर - 10 वर्ष

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.5 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है।

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है।

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर ही विचार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिग्रहीत आस्तियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। इसके बाद हर तीन वर्षों में पुनर्मूल्यन की गई आस्ति का मूल्यांकन किया जाता है।

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। निवल बही मूल्य में वृद्धि पर किए गए मूल्यह्रास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से की गई है।

7.11 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर काटा गया है।

8. पट्टे:

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड, जैसाकि उपरोक्त पैरा 3 में दिया गया है, वित्तीय पट्टों पर भी लागू है।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-समावेश उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (स्पॉट/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन:

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है ।

iv. विदेशी कार्यालयों की आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को तुलनपत्र की तिथि लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं स्पॉट दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रनीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ:

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजना

क. एसबीआई एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। एसबीआई निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नियत कर्मचारी हित लाभ योजना भविष्य निधि में अंशदान करता है। भविष्य निधि का प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। अवधि के दौरान दिए गए या देय अंशदान लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसके लिए कर्मचारी ने संबंधित सेवा ली है। साथ ही स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा प्रति वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और सांविधिक दर से देयता की तुलना में अंशदान के लिए देय ब्याज की कमियों की पहचान (यदि कोई हो) करता है।

ख. समूह अलग से ग्रेच्युटी योजना परिचालित करता है जिसके नियत हितलाभ हैं। समूह सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. एसबीआई सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। निहितीकरण नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में सम्पन्न होता है। बैंक एसबीआई पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियम के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस निधि में अतिरिक्त अंशदान आवधिक आधार पर करता है।

घ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजनाएँ:

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को सम्बन्धित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ:

क) बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरन्त शामिल कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

113 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को सम्बन्धित देशों के स्थानीय कानूनों / विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. आय पर कर:

समूह द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो "आय पर कर लेखा" से संबंधित है, ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर नियमों द्वारा आंका जाता है जो तुलन-पत्र की तिथि को लागू है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंध-मंडल के विवेक के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली होने की संभावना है/ होना निश्चित है। आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में कैरी फॉरवर्ड तभी किया जाए जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण में आय कर पर खर्च मुख्य एवं अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा कर पर खर्च का लागू विनियमों के अनुरूप कुल योग है।

13. प्रति शेयर आय:

13.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों का प्राप्य उस वर्ष के करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी " प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, संसाधनों के संभावित बहिर्गमन के परिणामस्वरूप दायित्व के निपटान आर्थिक लाभ को समाविष्ट कर, इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन कर किया जा सकता है।

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है।

इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है।

14.3 एसबीआई के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

14.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

15. सर्राफा लेनदेन:

एसबीआई अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता के द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। एसबीआई इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर कुछ फीस के रूप में आय प्राप्त करता है। इस फीस की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। एसबीआई सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा / अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

16. विशेष आरक्षित निधि:

राजस्व एवं अन्य निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

17. शेयर जारी करने पर व्यय:

शेयर जारी करने के व्यय शेयर प्रीमियम खाते में खर्च के रूप में दिखाए गए हैं।

अनुसूची 18

लेखा-टिप्पणियां

1. उन अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों की सूची जिन्हें शामिल करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

1.1 29 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 20 एसोसिएट्स 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित जो वर्ष के दौरान विलय /एक्जिट की संबंधित तिथियों तक/ से (जो भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य संस्था के साथ-साथ समूह का गठन) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में शामिल किया गया है, वे हैं

क. अनुषंगियां :

			समूह की हिस्सेदारी (%)	
क्र. सं.	**अनुषंगी का नाम**	**निगमन-देश**	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यूके	100.00	100.00
7)	एसबीआई डीएचएफआई लि.	भारत	72.17	72.17
8)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	86.18	86.18
9)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लि.	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.	भारत	100.00	100.00
11)	एसबीआई पेमेंट सर्विसज प्रा.लि. @	भारत	74.00	100.00
12)	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि.	भारत	92.60	92.60
13)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	62.10	62.10
14)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड @	भारत	70.00	74.00
15)	एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	74.00	74.00
16)	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड @	भारत	74.00	74.00

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
17)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्वि. प्रा.लि.@	भारत	65.00	65.00
18)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.@	भारत	63.00	63.00
19)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मॉरीशस	63.00	63.00
20)	कमर्शियल इंडो बैंक एलआईसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
21)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	100.00	100.00
22)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
23)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
24)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	-
25)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	100.00	100.00
26)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
27)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.00	99.00
28)	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	55.00	55.00
29)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के संदर्भ में संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं। हालाँकि, इन्हें एएस21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सहायक कंपनियों के रूप में समेकित किया गया है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।

ख. संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - ऐज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लि.	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बेरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	भारत	30.00	30.00

ग. सहयोगी:

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	पूर्वांचल बैंक	भारत	35.00	35.00

क्र. सं.	सहयोगी का नाम	निगमन-देश	समूह का हिस्सा (%) वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
11)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	26.27
16)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
17)	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	31.50
18)	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
19)	दि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	20.05	24.42
20)	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	20.00	20.00

क) अप्रैल 2018 के महीने में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि. (एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। एसबीआई ने ₹1,604.43 करोड़ के समान जीबीपी 17.50 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि में चुकता पूंजी के रूप में ले आई।

ख) मई 2018 के महीने में एसबीआई ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम) में ₹30 करोड़ लगाए। जियो पेमेंट बैंक में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी पूर्ववत बनी हुई है।

ग) अगस्त 2018 में एसबीआई ने एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) में ₹347.80 करोड़ लगाए। एसबीआई काड्र्स और पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी पूर्ववत बनी हुई है।

घ) अगस्त 2018 में एसबीआई ने एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एक सहायक) में ₹2.50 करोड़ लगाए।

एसबीआई ने अपने मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस (एमएबी) को एसबीआईपीएसपीएल को 29 सितंबर 2018 में हुए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते के अनुसार ₹1,250 करोड़ हस्थांतरित किए हैं जो एसबीआई के द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं।

जनवरी 2019 के महीने में एसबीआईपीएसपीएल ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 15,81,082 इक्विटी शेयर ₹9,819.86 प्रति शेयर ₹9,809.86 प्रति शेयर प्रीमियम सहित हिताची पेमेंट्स सर्विस प्राइवेट लि. को जारी किए। परिणामस्वरूप एसबीआईपीएसपीएल में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 100% से घटकर 74.00% हो गई है।

ङ) सितंबर 2018 के महीने में एसबीआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एक सहायक) में अपनी 4.00% हिस्सेदारी बेच दी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 74.00% से घटकर 70.00% हो गई है।

च) दिसंबर 2018 में एसबीआई ने एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में ₹30 करोड़ लगाए। एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

छ) फरवरी 2019 में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि (एक सहायक) ने एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (एक सहायक कंपनी) में ₹10.70 करोड़ लगाए। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी समान है।

ज) वर्ष के दौरान एसबीआई ने इसके द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में अतिरिक्त पूंजी लगाएः -

(₹करोड़ में)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राशि
उत्कल ग्रामीण बैंक	63.14
मध्यांचल ग्रामीण बैंक	57.63
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	7.28
नागालैंड ग्रामीण बैंक	0.65
योग	**128.70**

एसबीआई समूह का हिस्सा इस पूंजी निवेश के बाद भी समान है।

झ. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित एसबीआई प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी का समामेलन हुआ।

आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी को एसबीआई द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है, नीचे दिए गए हैं: -

	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का नाम	ट्रांसफर करने वाले आरआरबी का प्रायोजक बैंक	समामेलन के बाद आरआरबी का नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक का नाम	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक			
	मालवा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	1 जनवरी 2019
	सतलज ग्रामीण बैंक	पंजाब और सिंध बैंक			
2.	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक			
	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	1 अप्रैल 2019
3.	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1 अप्रैल 2019
	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			
	आरआरबी के समामेलन का ब्योरा, जहां ट्रांसफर किए गए आरआरबी एसबीआई द्वारा प्रायोजित हैं:-				
1	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड	भारतीय स्टेट बैंक	1 अप्रैल 2019
	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	राज्य ग्रामीण बैंक		

ञ) एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड एसबीआई की एक सहायक कंपनी है जिसमें एसबीआई की हिस्सेदारी 25.05% है वह लिक्वीडेशन के अधीन है और इसलिए, लेखा परीक्षा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी में समेकन के लिए शामिल नहीं किया जा रहा है।

ट) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 (2) के तहत शामिल), उस पर लेखांकन मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2018-19 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और तीन सहयोगियों (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. शेयर पूंजी:

क) भारतीय स्टेट बैंक ने ₹0.38 करोड़ की आवेदन राशि ₹0.38 करोड़ प्रीमियम सहित ₹1 के इक्विटी शेयर पर 24,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए प्राप्त किए जो विभिन्न प्रकार के टाइटल के विवाद या 18.03.2008 को बंद राइट इश्यू के विवाद के कारण रोककर रखा गया था। रोककर रखे गए इक्विटी शेयर 31.01.2019 को आबंटित किए गए।

ख) शेयर जारी करने के व्यय के संबंध में ₹9.12 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹17.60 करोड़) शेयर प्रीमियम खाते में डेबिट किए गए।

3. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

3.1 लेखा मानक- 15 "कर्मचारी हितलाभ":

3.1.1 नियत हितलाभ योजनाएं

3.1.1.1 पेंशन योजना एवं ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	87,786.56	83,870.13	13,025.81	9,929.61
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए समायोजन *	-	-	-	8.70
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	430.32	302.75
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,012.43	722.05
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	3,614.64
देयता / अधिग्रहण में हस्तांतरित	-	-	-	1.20
बीमांकिक हानि / (लाभ)	6,434.95	3,338.70	(89.76)	(9.83)
प्रदत्त लाभ	(3,966.53)	(4,190.43)	(2,000.50)	(1,543.31)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	85,249.60	79,303.20	9,263.16	9,863.77
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए समायोजन *	-	-	-	6.21
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	6,615.37	5,908.09	721.37	717.37
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,391.18	4,363.81	2,404.93	243.49
आस्तियों का अधिग्रहण / अधिग्रहण में स्थानांतरित किया गया	-	-	-	2.01
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.34	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,966.53)	(4,190.43)	(2,000.50)	(1,543.32)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.65	(135.07)	104.50	(26.37)
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
कमी/(अधिशेष)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	3,762.65
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	(2,707.50)
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	95,362.15	87,786.56	12,378.30	13,025.81
संपत्ति	90,399.61	85,249.60	10,493.46	9,263.16
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त नेट लायबिलिटी / (एसेट)	4,962.54	2,536.96	1,884.84	3,762.64
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	(2,707.50)
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**
शुद्ध लागत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है				
वर्तमान सेवा लागत	1,060.57	978.19	430.32	302.75

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्याज लागत	6,812.24	6,248.32	1,012.43	722.05
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(6,615.37)	(5,908.09)	(721.37)	(717.37)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	(0.34)	-	-	-
विगत सेवा लागत (परिशोधित) मान्यता प्राप्त	-	-	-	0.05
लेखे में लिया गया विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	2,707.50	907.09
वर्ष के दौरान लेखे में शामिल शुद्ध बीमांकिक हानि /लाभ	6,325.30	3,473.77	(194.26)	16.54
अनुसूची 16 में शामिल परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**7,582.40**	**4,792.19**	**3,234.62**	**1,231.11**
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का सामंजस्य				
योजनागत आस्ति पर अपेक्षित लाभ	6,615.37	5,908.09	721.37	717.37
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	109.65	(135.07)	104.50	(26.37)
योजना आस्ति पर वास्तविक लाभ	6,725.02	5773.02	825.87	691.00
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**2,536.96**	**4,566.93**	**1,055.15**	**65.84**
एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रा.लि.*- के लिए समायोजन	-	-	-	2.50
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	7,582.40	4,792.19	3,234.62	1231.11
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(2,765.64)	(2,458.35)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
शुद्ध देयता/ (आस्ति) हस्थांतरित	-	-	-	(0.81)
नियोक्ता का अंशदान	(2,391.18)	(4,363.81)	(2,404.93)	(243.49)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/ (आस्ति)	**4,962.54**	**2,536.96**	**1,884.84**	**1,055.15**

* एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में समेकन की पद्धति में परिवर्तन के कारण समायोजन कुल व्यवसाय समेकन की तुलना में यथानुपातिक व्यवसाय समेकन के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2019 तक ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का%	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों%
केंद्र सरकार की प्रतिभूति	23.69%	18.49%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	31.40%	33.42%
डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट सिक्योरिटीज और बैंक डिपॉजिट्स	31.93%	22.92%
म्यूचुअल फंड्स	2.39%	4.02%
बीमाकर्ता प्रबंधित फंड	2.63%	16.71%
अन्य लोग	7.96%	4.44%
योग	**100.00%**	100.00%

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.79%	7.76%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.79%	7.76%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
पेंशन वृद्धि दर	0.40%	-
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.77%	7.78%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

भारतीय स्टेट बैंक के मामले में चूँकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

3.1.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन "शून्य" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	30,298.65	26,221.36
वर्तमान सेवा लागत	965.04	961.65
ब्याज लागत	2507.55	2,455.58

(₹ करोड़ में)

	भविष्य निधि	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1377.59	1,396.25
हस्तांतरित हुई देयता	-	3,309.05
बीमांकिक हानि (लाभ)	-	25.56
प्रदत्त लाभ	(4220.11)	(4,070.79)
31 मार्च 2019 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	**30,928.72**	**30,298.66**
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2018 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	31,874.25	27,221.93
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,507.55	2,455.58
अंशदान	2,342.63	2,357.90
अन्य कंपनियों से हस्तांतरित	-	3,723.65
प्रदत्त हितलाभ	(4220.11)	(4,070.79)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	126.22	185.98
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	**32,630.54**	**31,874.25**
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2019 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	30,928.72	30,298.66
31 मार्च 2019 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	32,630.54	31,874.25
कमी/(अधिशेष)	(1,701.82)	(1,575.59)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,701.82	1,575.59
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	965.04	961.65
ब्याज लागत	2,507.55	2,455.58
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-2,507.55	(2,455.58)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	965.04	961.65
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	965.04	961.65
नियोक्ता का अंशदान	(965.04)	(961.65)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	35.34%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.83%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	31.74%
म्यूचुअल फंड	1.44%
अन्य	6.65%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.77%	7.78%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.55%	8.65%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्यनिधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी:

क. पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक: या

ख. तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की भविष्य निधि जिसका प्रबंध एक न्यास द्वारा किया जाता है, के नियमों में यह दिया गया है कि यदि न्यास बोर्ड इस कारण से कि निवेश पर आय कम हुई है या अन्य किसी कारण से उस दर से ब्याज अदा करने में असमर्थ हैं जो दर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिए घोषित की जाती है तब कम पड़ने वाली राशि की पूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाएगी।

3.1.2 नियत अंशदान योजना

3.1.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह (नोट 3.1.1.2 में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर) द्वारा भविष्य निधि योजना के लिए ₹32.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹28.59 करोड़) की राशि अंशदान की गई है और उसे लाभ एवं हानि खाते में 'कर्मचारी को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

3.1.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

अगस्त 1, 2010 या उसके बाद एसबीआई की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एसबीआई ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंध नई पेंशन योजना एनपीएस न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹451.39 करोड़ का अंशदान किया (पिछले वर्ष ₹390 करोड़) था।

3.1.2.3 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	6,248.59	4,760.18
वर्तमान सेवा लागत	261.33	210.19
ब्याज लागत	485.98	432.32
देयता में हस्तांतरित / अधिग्रहण	-	1,188.49
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	741.84	593.93

(₹ करोड़ में)

	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
प्रदत्त लाभ	(861.10)	(936.51)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	6,876.64	6,248.59
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	261.33	210.19
ब्याज लागत	485.98	432.32
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	741.84	593.93
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	1489.15	1,236.44
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	6,248.59	4,760.17
उपरोक्तानुसार व्यय	1,489.15	1,236.44
अधिग्रहण में हस्तांतरित हुई देयता	-	1,188.49
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(861.10)	(936.51)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**6,876.64**	**6,248.59**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान :

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
बट्टा दर	7.77%	7.78%
वेतन वृद्धि	5.20%	5.00%
सेवात्याग दर	2.00%	2.00%

संचित प्रतिपूरक अनुपस्थितियां (अर्जित अवकाश) (उपर्युक्त तालिका में शामिल की गई इकाइयों को छोड़कर)

सेवानिवृत्ति पर किए जाने वाले अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए समूह द्वारा ₹30.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष ₹36.17 करोड़) का प्रावधान किया गया है और उसे लाभ एवं हानि खाते में कर्मचारियों को 'भुगतान एवं उसके लिए प्रावधान शीर्ष' में शामिल किया गया है।

3.2.3.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए ₹38.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 38.69 करोड़) की राशि का प्रावधान/(अपलेखन) किया गया तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" शीर्ष में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए किए गए प्रावधान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अवकाश यात्रा एवं गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	35.80	(4.20)
2	रुग्ण अवकाश	2.11	3.35
3	रजत जयंती / दीर्घावधि सेवा अवार्ड	12.64	(12.64)
4	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(4.15)	(13.23)
5	आकस्मिक अवकाश	-	-
6	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(7.85)	(11.97)
	योग	**38.55**	**(38.69)**

3.1.3 उपर्युक्त सूचीबद्ध कर्मचारी हित लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में है। विदेश स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को उक्त योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।

3.2 लेखा मानक - 17 'खंडवार सूचना'

3.2.1. खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व एक्सट्रेक्ट करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

क. **ट्रेजरी-** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ख. **कॉरपोरेट/थोकबैंकिंग-** कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कारपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-कोष परिचालन भी शामिल हैं।

ग. **खुदरा बैंकिंग-** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, इन शाखाओं की गतिविधियों में संबद्ध कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

घ. **बीमा व्यवसाय** - बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के परिणाम शामिल हैं।

ङ. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - उपर्युक्त (क) से (घ) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इस खंड में भी समूह की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं.लि. और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि. को छोड़कर सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

क) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ख) विदेशी परिचालन - भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

ग. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मूलतः प्राथमिक संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग खंड से ही निधियां प्राप्त करते हैं। बाजार संबद्ध निधि अंतरण मूल्यन (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है, इसके अंतर्गत निधीयन केंद्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। निधीयन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमाओं और उधारियों के रूप में उगाही गई निधियों को कल्पित (नोशनल) रूप से खरीदता है तथा आस्ति सृजन में लगी वसाय इकाइयों को कल्पित विक्रय करता है।

घ. आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

ऐसी आय, व्यय, सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जो समग्रतः उद्यम से संबंधित होती है और जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

3.2.2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड) (₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व)	77,713.33	80,139.68	1,21,250.27	43,417.32	11,643.14	3,34,163.74
	(82,163.87)	(64,365.45)	(1,11,963.61)	(34,088.37)	(8,637.67)	(3,01,218.97)
गैर-आबंटित आय						903.54
						(2,571.02)
घटाएं: अंतरखंडीय आय						4,846.40
						(2,298.53)
कुल आय						3,30,220.88
						(3,01,491.46)
परिणाम(विशेष मदों से पूर्व)	6,593.12	-15,889.35	12,837.52	2,114.81	2,290.57	7,946.67
	(-16.83)	(-38,316.71)	(19,464.25)	(1,832.28)	(1,680.23)	(-15,356.78)
जोड़ें: विशेष मदें	466.48					466.48
	(5,036.21)					(5,036.21)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात्)	7,059.60	-15,889.35	12,837.52	2,114.81	2,290.57	8,413.15
	(5,019.38)	(-38,316.71)	(19,464.25)	(1,832.28)	(1,680.23)	(-10,320.57)
गैर-आबंटित आय (+)/व्यय(-) निवल						-3,192.67
						(-1,924.34)
कर पूर्व लाभ/ (हानि)						5,220.48
						(-12,244.91)
कर						2,151.41
						(-8,057.50)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्से से पूर्व निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						3,069.07
						(-4,187.41)
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						281.48
						(438.16)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
घटाएं: अल्पांश हित						1,050.91
						(807.04)
समूह के लिए निवल लाभ/ हानि						2,299.64
						(-4,556.29)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	10,00,105.22	11,54,958.34	14,93,139.12	1,53,355.50	33,271.01	38,34,829.19
	(10,85,909.92)	(10,24,506.47)	(13,19,933.76)	(1,27,110.66)	(27,548.89)	(35,85,009.70)
गैर आबंटित आस्तियां						53,637.87
						(31,434.87)
कुल आस्तियां						38,88,467.06
						(36,16,444.57)
खंड देयताएं	8,28,452.00	11,77,656.01	14,04,930.51	1,43,955.29	24,650.44	35,79,644.25
	(8,10,044.02)	(10,63,520.41)	(13,11,488.36)	(1,19,108.58)	(21,136.24)	(33,25,297.61)
गैर आबंटित देयताएं						74,327.15
						(60,825.01)
कुल देयताएं						36,53,971.40
						(33,86,122.62)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय परिचालन	विदेशी परिचालन	कुल
आय (विशेष मदों से पूर्व)	3,13,646.59	16,574.29	3,30,220.88
	(2,88,659.53)	(12,831.93)	(3,01,491.46)
निवल लाभ / हानि	(2,151.64)	4,451.28	2,299.64
	(-6,162.65	(1,606.36)	(-4,556.29)
आस्तियाँ	34,50,717.84	4,37,749.22	38,88,467.06
	(32,04,207.99)	(4,12,236.58)	(36,16,444.57)
देयताएँ	32,22,555.73	4,31,415.67	36,53,971.40
	(29,78,279.99)	(4,07,842.63)	(33,86,122.62)

(i) आय/ व्यय संपूर्ण वर्ष के लिए है। आस्तियां/ देयताएं 31 मार्च 2019 के लिए हैं।

(ii) कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

3.3 लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्षों का प्रकटन"

3.3.1 समूह के संबंधित पक्ष

क. संयुक्त उद्यम:

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज लि.
2. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.
4. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
8. जियो पेमेंट्स बैंक लि.

ख. सहयोगी :

i.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक
6. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
7. मेघालय ग्रामीण बैंक
8. मिजोरम ग्रामीण बैंक
9. नागालैंड ग्रामीण बैंक
10. पूर्वांचल बैंक
11. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
12. उत्कल ग्रामीण बैंक
13. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
14. वनांचल ग्रामीण बैंक
15. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
16. तेलंगाना ग्रामीण बैंक
17. कावेरी ग्रामीण बैंक
18. मालवा ग्रामीण बैंक (31.12.2018 तक)

ii. अन्य

19 दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

20 बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

21 एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

ग. एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
2. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (जोखिम, आईटी एवं अनुषंगियाँ)
3. श्री पी.के.गुप्ता, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
4. श्री बी. श्रीराम, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट एवं ग्लोबल बैंकिंग) (29.06.2018 तक)
5. श्री अरिजित बसु, प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह एवं आईटी) (25.06.2018 से)
6. श्रीमती अंशुला कांत, प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्तियां, जोखिम एवं अनुपालन) (07.09.2018 से)

3.3.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ''सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम'' के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3.3.3 लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
वर्ष 2018-19 के दौरान लेन-देन			
ब्याज आय	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज व्यय	- (0.09)	- (-)	- (0.09)
लाभांश से अर्जित आय	19.26 (29.24)	- (-)	19.26 (29.24)
अन्य व्यय	0.10 (0.17)	- (-)	0.10 (0.17)
अन्य आय	0.36 (12.31)	- (-)	0.36 (12.31)
प्रबंधन संविदा	- (-)	1.32 (2.05)	1.32 (2.05)
मार्च 31, 2019 को बकाया			
देय राशियां			
जमा	47.18 (44.75)	- (-)	47.18 (44.75)
अन्य देयताएं	0.29 (1.19)	- (-)	0.29 (1.19)
प्राप्य राशियां			
बैंकों में अधिशेष	- (-)	- (-)	- (-)
निवेश	97.66 (67.66)	- (-)	97.66 (67.66)
अग्रिम	- (-)	- (-)	- (-)
अन्य आस्तियां	0.08 (0.07)	(-)	0.08 (0.07)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	- (-)	- (-)	- (-)
जमा	207.32 (206.21)	(-)	207.32 (206.21)
अन्य देयताएं	0.29 (119.61)	- (-)	0.29 (119.61)
बैंक में अधिशेष	- (-)	- (-)	- (-)
अग्रिम	- (0.62)	- (-)	- (0.62)
निवेश	97.66 (77.10)	- (-)	97.66 (77.10)
अन्य आस्तियां	0.08 (0.07)	- (-)	0.08 (0.07)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	- (-)	- (-)	- (-)

(कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

वर्ष के दौरान अन्य पक्ष से संबंधित लेनदेनों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

3.4 लेखा मानक -19 "पट्टे":

3.4.1 वित्तीय पट्टा

01 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियाः वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
1 वर्ष से कम	24.58	17.26
1 से 5 वर्ष	65.08	56.06
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**89.66**	**73.32**
ब्याज लागत देय राशियां		
1 वर्ष से कम	6.03	4.77
1 से 5 वर्ष	7.89	13.19
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**13.92**	**17.96**

न्यूनतम पट्टा भुगतान देय राशियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से कम	18.55	12.49
1 से 5 वर्ष	57.19	42.87
5 वर्ष और उससे अधिक	-	-
योग	**75.74**	**55.36**

3.4.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और स्टाफ निवास शामिल हैं, जो समूह इकाइयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं। रद्द होने योग्य नहीं परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता नीचे प्रस्तुत की गई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	188.39	208.53
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	558.54	613.72
5 वर्ष के पश्चात	120.46	252.46
योग	**867.39**	**1,074.71**

इस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतानों की राशि ₹3,522.61 करोड़ (पिछले वर्ष 3,440.01 करोड़).

3.5 लेखा मानक-20 'प्रति शेयर उपार्जन'

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात समेकित (आधी हिस्सेदारी वाली संस्थाओं को छोड़कर) निवल लाभ/(हानि) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण मूल एवं कम किया हुआ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,87,534	797,35,04,442
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	24,000	95,10,83,092
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,45,87,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,45,91,479	853,30,51,135
निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	2,299.64	(4,556.29)
प्रति शेयर मूल आय (₹)	2.58	(5.34)
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	2.58	(5.34)
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

3.6 लेखा मानक- 22 'आय पर कर का लेखांकन'

i) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹878.16 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए गए हैं। (पिछले वर्ष ₹9,804.79 करोड़ क्रेडिट किया गया)

ii) आस्थगित कर की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	5,363.60	3,486.07
अग्रिमों के लिए प्रावधान	4,404.39	4,415.43
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	753.11	743.57
बट्टे का परिशोधन संचित हानि पर	10,863.94	13,889.32
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	235.77	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	50.00	14.91
डीटीए एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	277.68	317.04
अन्य	220.38	207.56
योग	**22,168.87**	**23,073.90**
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	99.44	89.71
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,389.76	6,315.01
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	4,690.10	4,690.10
डीटीएल एसबीआई विदेशी कार्यालयों से	2.33	2.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि		117.30

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
अन्य	8.22	26.66
योग	**11,189.85**	**11,241.58**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**10,979.02**	**11,832.32**

3.7 लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

3.8 लेखा मानक - 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां'

- **लाभ एवं हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं" का विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	कराधान हेतु प्रावधान		
	- वर्तमान कर	1,982.02	1,758.40
	- आस्थगित कर	878.16	(9,804.79)
	- आय कर का प्रतिलेखन	(708.77)	(11.11)
ख)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	55,343.42	72,217.65
ग)	पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(89.85)	(691.67)
घ)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.51	(3,584.56)
ङ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(606.00)	8,177.30
च)	अन्य प्रावधान	131.03	(103.65)
	योग	**56,950.52**	**67,957.58**

(कोष्ठ के आंकड़े ऋण दर्शाते हैं)

- **अस्थिर प्रावधान:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	193.75	193.75
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
ग)	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ)	**इतिशेष**	**193.75**	**193.75**

- **आकस्मिक देयताओं के विवरण (लेखा मानक-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक एवं उसके संघटक विभिन्न कार्यवाहियों के पक्ष होते हैं। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयता	यह मद, अंशतः चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती हैं। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः समूह की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	समूह अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा ऑप्शंस, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। आकस्मिक देयताएँ, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, एसबीआई द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत एसबीआई की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

- **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	आरंभिक शेष	526.29	1,026.38
ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	113.95	127.43
ग)	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	66.22	227.72
घ)	वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	39.27	399.80
ङ)	इतिशेष	**534.75**	**526.29**

4 समूह इकाइयों के बीच अंतर-बैंक/कंपनी शेषों का सतत आधार पर समाधान किया जा रहा है। चालू वर्ष में लाभ एवं हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

5 **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)**

"अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्या बीपी. बीसी. 21.04.048/2014-15 दिनांक 30 मार्च 2015 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2014 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50 प्रतिशत को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

6 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी.बीसी. 108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून 2018 को बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक्सपोजर्स जारी रखने की अनुमति दी गई। तदनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च, 2019 को मानक आस्ति के रूप में ₹242.32 करोड़ के अग्रिमों को बनाए रखा है । परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, एसबीआई ने इन खातों पर ब्याज को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31 मार्च, 2019 की ₹12.12 करोड़ की मानक आस्ति व्यवस्था की है।

7 भारतीय रिज़र्व बैंक के 23.06.2017 के पत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और दिनांक 28 अगस्त 2017 के पत्र सं. डीबीआर. बीपी. 1906/21.04.048 / 2017-18 के अनुसार ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए बैंक ने 31 मार्च 2019 को क्रमशः ₹34,554 करोड़ (कुल बकाया का 89.66%) का कुल प्रावधान 31 मार्च 2019 को किया है।

8 एसबीआई ने 1 नवम्बर 2017 से वेतन संशोधन के कारण बकाया वेतन के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ₹3984.00 करोड़ (कुल ₹5643.41 करोड़) का प्रावधान किया है।

9 अनुसूची 14 के अंतर्गत निवेश (निवल) की बिक्री पर लाभ/(हानि) अन्य आय में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर ₹446.48 करोड़ (पिछले वर्ष एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आंशिक निवेश की बिक्री पर ₹5036.21 करोड़) शामिल हैं।

10 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संबंध में:

क. आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत आदेश संख्या आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/मिस/228/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 के अनुसार मास्टर पॉलिसी धारकों को प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार की ₹84.32 करोड़ राशि (पिछले वर्ष ₹84.32 करोड़) संवितरित करने का आदेश जारी किया है। इस कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है जिसने मामले को 04 नवंबर 2015 को पुनः आईआरडीए को भेजा है। आगे आईआरडीए ने दिनांक 5 अक्तूबर 2012 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए दिनांक 11 जनवरी 2017 को फिर से निर्देश जारी किए हैं। इस कंपनी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है।

ख. आईआरडीएआई ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के तहत कॉरपोरेट एजेंट को प्रदत्त अतिरिक्त कमीशन की ₹275.29 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹275.29 करोड़) क्रमशः सदस्यों या लाभार्थियों को अपने पत्रांक आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/मिस/083/03/2014 दिनांक 11 मार्च 2014 के द्वारा वापस करने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार और प्रतिभूति अपील अधिकरण के पास अपील दायर की है।

अंतिम आदेश अभी प्राप्त होने बाकी हैं इसलिए उक्त राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

11 एसबीआई द्वारा अनुपालन की गई लेखा नीति के अनुसार लाइफ और जनरल इंश्योरेंस अनुषंगियों में किए गए निवेशों का फिर से उल्लेख करने के बजाय इन्हें आईआरडीए (निवेश) विनियमन, 2016 के अनुसार लेखे में लिया गया है। 31 मार्च, 2019 को बीमा अनुषंगियों के कुल निवेशों का लगभग 12.74% (पिछले वर्ष 9.87%) भाग है।

12 आरबीआई परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी. 42/21.01.02/2007-08 के अनुसार मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हों) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में समझा गया है।

13 वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य वर्गीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और इसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं है आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

14 आरबीआई दिशानिर्देशों/लेखा मानकों के अनुरूप पहली बार चालू वर्ष के वर्गीकरण से मिलान के लिए जहाँ भी आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

भारतीय स्टेट बैंक

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2019 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2018 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) (सहयोगियों के लाभ का हिस्सा सहित परंतु अल्पांश हित को घटाकर)		4451,05,72	(12613,79,21)
समायोजन:			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास		3495,89,21	3105,07,10
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		32,35,82	30,73,27
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल))		2124,03,82	1120,61,02
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(466,47,81)	(5134,30,14)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		55253,57,08	71525,98,80
मानक आस्तियों पर प्रावधान		20,50,53	(3584,56,16)
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		(606,00,24)	8177,30,33
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		131,02,52	(103,64,78)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सा		(281,47,94)	(438,15,98)
सहयोगियों से लाभांश		(11,71,87)	(15,45,97)
पूंजी लिखतों पर ब्याज		4222,27,24	4554,43,06
		68365,04,08	**66624,21,34**
परिवर्तन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		218362,77,89	121391,84,57
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		41290,72,22	44832,14,90
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		63373,44,50	(164770,34,41)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(321988,70,29)	(134190,21,63)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)		4182,31,31	(111,91,71)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(35854,36,00)	(22273,22,00)
		37731,23,71	**(88497,48,94)**
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(8175,23,21)	(8010,41,70)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**29556,00,50**	**(96507,90,64)**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(63,52,57)	104,83,55
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		466,47,81	5134,30,14
सहयोगियों से लाभांश		11,71,39	15,45,97
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में (वृद्धि) / कमी		(3005,51,02)	6601,82,54
समेकन पर साख में (वृद्धि) / कमी		**1734,07,01**	**(790,65,51)**
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(856,77,38)**	**11065,76,69**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
(27 मार्च 2018 को जारी एवं आबंटित शेयरों पर व्यय/ जारी करने के व्ययों को घटाकर इक्विटी शेयरों के निर्गम से प्राप्त राशि)		(8,74,22)	23782,45,47

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
पूंजीगत लिखतों का निर्गम / मोचन		3377,60,00	(12118,47,50)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज		(4222,27,24)	(4554,43,06)
प्रदत्त लाभांश पर कर सहित		,,0	(2416,26,71)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(120,69,39)	(143,58,57)
अल्पांश हितों में वृद्धि / (कमी)		1421,74,62	997,46,74
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**447,63,77**	**5547,16,37**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**1076,28,67**	**1305,17,53**
भारतीय महिला बैंक के विलयन से प्राप्त नकदी एवं नकदी समतुल्य	**(ङ)**	**-**	**681,75,35**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)		**30223,15,56**	**(77908,04,70)**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**195289,10,83**	**273197,15,53**
अवधि के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**225512,26,39**	**195289,10,83**
नोट:			
1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति:		**31.03.2019**	**31.03.2018**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		177362,74,09	150769,45,69
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य : शेष		48149,52,30	44519,65,14
योग		**225512,26,39**	**195289,10,83**
2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा रिपोर्ट किया गया।			

श्रीमती अंशुला कान्त
एमडी (एसएआरसी)

श्री अरिजित बसु
एमडी (सीसीजी एवं आईटी)

श्री दिनेश कुमार खारा
एमडी (जीबी एवं एस)

श्री पी के गुप्ता
एमडी (आर एवं डीबी))

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार

श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष

श्री राजेश सेठी
पार्टनर

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019

स.सं. : 085669
फर्म पं.सं.. : 001111N

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड, मुंबई

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 के समेकित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि खाते तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना जिसमें शामिल है:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जिसे हमारे साथ-साथ केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा समीक्षा की गई है;

   ख) 28 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 17 सहयोगियों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा की गई है (15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित); और

   ग) 1 अनुषंगी और 3 एसोशिएट (2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

   उपरोक्त इकाइयों को बैंक 'समूह' के संदर्भ में लिया गया है।

   हमारी अभिमत में और हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक और सहयोगियों के अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं और जो

   क) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र में समूह की सही और उचित स्थिति;

   ख) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

   ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने अपना अभिमत देने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों (अनुसूची 9 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पढ़ी जाए) के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान। अग्रिमों में खरीदे गए और भुनाए गए बिल, कैश क्रेडिट्स, मांग पर चुकौती योग्य ओवरड्राफ्ट ऋण और सावधि ऋण सम्मिलित हैं। इन्हें आगे मूर्त परिसंपत्तियों (बही ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित), बैंक/सरकार की गारंटियों द्वारा प्रत्याभूत और अप्रतिभूत अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 59.38% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसी) मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में की उचित व्यवस्था स्थापित करना शामिल होता है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए यह समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। तदनुसार, इनमें दी गई जानकारी के महत्व को देखते हुए हमारी लेखापरीक्षा अग्रिमों से संबंधित आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर केंद्रित रही है।	हमारी अग्रिमों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और अन्य संबंधित परिपत्रों/निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भानुसार निम्नलिखित की परीक्षा भी की गई है: - हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; - मॉनीटरिंग व्यवस्थाओं जैसे बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावशीलता; हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की भी परीक्षा की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी परीक्षा की है। हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से चर्चा की है। हमने बाहरी आईटी सिस्टम विशेषज्ञों की रिपोर्टों की भी सहायता ली है विशेषकर एनपीए का पता लगाने, पहचान करने और श्रेणी निर्धारण करने तथा अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने एवं उनके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस में प्रयुक्त बिजनेस लॉजिक्स/पैरामीटर्स के संबंध में।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 2 के साथ पढ़ी जाए) निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 26.27% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्यों के साथ साथ निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय का गैर निर्धारण तथा उनके लिए प्रावधान करने को भी शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार करना होता है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति शामिल है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा और नियामक के इस पर फोकस को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित रही।	हमारी निवेशों की लेखापरीक्षा कार्यविधि में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/ निदेशों का डिजाइन की समीक्षा, परीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और अनर्जक निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास का संदर्भ लेना शामिल है। विशेषकर: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन किया और उसे समझा; ख. हमने इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए, हमने इनके ठीक होने और भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी परीक्षा की। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. हमने एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया; ङ. हमने सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियां अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास की राशि की भी अलग से फिर से गणना की है। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की परीक्षा की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. हमने निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की परीक्षा की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का पता लगाया जा सके।
iii	प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताओं का कतिपय कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में निर्धारण, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न करना (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.9 के साथ पढ़ी जाए): प्रोविजनिंग के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। जहाँ आवश्यक समझा गया, बैंक के आकलन के साथ साथ विधिक और स्वतंत्र कर सलाहकारों का परामर्श भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हमने उपर्युक्त विषय को इन मामलों के परिणामों की अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में विवेक प्रयोग को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा संबंधित मामलों के तथ्यों के विश्लेषण और कानूनी निर्णयों/ व्याख्या पर केंद्रित रही।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्नलिखित शामिल रहे:- क. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ख. हाल के आदेशों और/या विभिन्न कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त सूचना और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की परीक्षा। ग. संबंधित मामलों में स्वतंत्र विधिक/कर संसूचना में प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में गुण-दोषों का मूल्यांकन। और; घ. संबंधित मामलों में चर्चा की, विवरण प्राप्त कर बैंक की मंशाओं और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन की समीक्षा और मूल्यांकन का विश्लेषण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अतिरिक्त सूचना

4. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सम्मिलित हैं, (लेकिन इसमें समेकित बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जारी करने के समय प्राप्त किया जाएगा और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना और बासेल III प्रकटीकरण को कवर नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम बैंक की निदेशक रिपोर्ट अनुलग्नकों सहित पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए गवर्नेंस से जुड़ें लोगों और प्रबंध मंडल के दायित्व

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण", लेखा मानक 23 "एसोशिएट में निवेश के समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संबंधित प्रबंधन का दायित्व है कि वह संबंधित समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक समूह का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

ऐसे प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलोंकी जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7. हमने समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया है:

क) हमने 13 संयुक्त लेखापरीक्षकों सहित समेकित वित्तीय विवरण में शामिल 14,796 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त बैंक के कुल अग्रिमों का ₹14,00,731.01 करोड़ और कुल ब्याज आय ₹1,06,540.62 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) हमने 28 (अट्ठाइस), 8 (आठ) संयुक्त उद्यम अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2019 को ₹2,25,286 करोड़ की कुल आस्ति, कुल राजस्व ₹57,143 करोड़ और शुद्ध बाह्य नकदी प्रवाह ₹ 921 करोड़ शामिल है वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त हो गया, जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में समूह के 17 (सत्रह) सहयोगियों के ₹241 करोड़ के शुद्ध लाभ की हिस्सेदारी भी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) हमने 1 (एक) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2019 को ₹5766 करोड़ की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं तथा कुल राजस्व ₹238 करोड़ और ₹39 करोड़ शुद्ध नकदी आंतरिक प्रवाह की राशि वर्ष के लिए समाप्त उस तारीख को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है। 3 (तीन) सहयोगियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को समूह का ₹41 करोड़ शुद्ध लाभ भी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारा अभिमत जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमारा विचार समेकित वित्तीय वक्तव्यों के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. समूह की सहायक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और रिपोर्ट नहीं की गई उपचयित देयताओं (आईबीएनआर) और दावे जो उपचयित नहीं हैं और रिपोर्ट भी नहीं किए गए (आईबीएनईआर) के बीमांकक मूल्यांकन की जिम्मेदारी कंपनी द्वारा नियुक्त बीमांकक की है (नियुक्त बीमांकक)। 31 मार्च 2019 तक सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है किंतु जिसकी देयता है उसे नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है इस तरह के मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीए"/"प्राधिकरण") और भारत के एक्चुएरी संस्थान के साथ सहमति में जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार है। सक्रिय जीवन बीमा पॉलिसी के लिए देनदारियों और ऐसी पॉलिसी जिनके प्रीमियम नहीं प्राप्त हो रहा है के संबंध में हम इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणपत्र पर भरोसा करते हैं अपना अभिमत बनाने के लिए इन पर ही भरोसा करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

कृते जे.सी.भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं 001111N

(राजेश सेठी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 085669

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2019